माननीय अध्यक्ष महोदय,

1. आपकी अनुमति से मैं, वर्ष 2014–15 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ।

2. हमारी सरकार ने एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है तथा हमारी उपलब्धियाँ हिमाचल प्रदेश की जनता को दिखनी आरम्भ हो गई हैं। इस छोटे से अन्तराल में राज्य में विकास के अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। यहां मैं यह कहना चाहूँगा किः

"पतझड़ के ज़ख्मों को मौसम सहलाने लगे
दरख़्तों पर नए पत्ते नज़र आने लगे।"

3. कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा–पत्र को सरकार का नीतिगत् दस्तावेज़ बनाया गया है और मुझे इस मान्य सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि घोषणा–पत्र में किए गए अधिकतर वायदों को हमारी सरकार ने पहले ही वर्ष में पूर्ण कर लिया है।

4. गत वर्ष का बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने समाज के समस्त वर्गों, विशेषकर निर्धन व असहाय वर्गों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए समग्र एवं सन्तुलित विकास का वायदा किया था और हम अपने वायदों पर खरे उतरे हैं।

5. अध्यक्ष महोदय, सत्ता सम्भालते ही, मेरी सरकार ने राज्य में आम आदमी को राहत देने के लिए बहुत से पग उठाए हैं। हमने विधवाओं, वृद्धों

तथा विकलांगों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन ₹450 से बढ़ाकर ₹500 कर दी है। 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धों की मासिक पैंशन ₹800 से बढ़ाकर ₹1,000 कर दी है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष पैंशन के 10,369 नए मामले भी स्वीकृत किए गए हैं।

6. अन्तर्जातीय विवाह के लिए अनुदान राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दी गई है। इसी प्रकार मुख्य मन्त्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि ₹21,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है। समस्त पात्र श्रेणियों के लिए आवास उपदान की राशि को ₹48,500 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों की **Creamy-layer** की वार्षिक आय सीमा ₹4.5 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है।

7. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन हेतु वार्षिक आय सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹20,000 की गई है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹2,250 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रतिमाह किया गया है।

8. राज्य की जनता को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रदेश में 1 अक्तूबर 2013 से "राजीव गांधी अन्न योजना" आरम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ताओं को ₹2 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ तथा ₹3 प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्रदान किया जा रहा है।

9. सभी राजकीय विद्यालयों के बच्चों को घर से विद्यालय तक आने–जाने हेतु हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

10. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार राज्य की जनता के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने साफ–सुथरा, पारदर्शी, नागरिक हितैषी तथा भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाते हुए कार्यकुशल प्रशासन प्रदान करने का वायदा किया है। पिछली भाजपा सरकार ने बहुत से जनविरोधी निर्णय लिए और इसलिए राज्य की जनता ने वर्ष 2012 के चुनावों में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। उस समय की भाजपा सरकार के विरूद्ध अब कांगेस के आरोप पत्र के अनुसार जांच की जा रही है। अब जबकि उनके गलत कार्य सामने आ रहे हैं, तो विपक्ष में बैठे मेरे मित्र कीचड़ उछालने तथा व्यक्तिगत बदले की भावना से ओछी राजनीति कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने के लिए जोड़–तोड़ करके मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। यह कोई पहली बार नहीं है, जब मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मेरे विरूद्ध झूठे आरोप लगाए गए हैं। भाजपा सरकार के पिछले कार्यकालों में न केवल मेरे विरूद्ध व्यक्तिगत झूठे तथा आधारहीन आरोप लगाए गए बल्कि मुझ पर दो बार आपराधिक मामले भी बनाए गए, परन्तु हर बार मेरे पक्ष में सत्य की जीत हुई। वे अपने गलत कृत्यों से जनमानस का ध्यान हटाने के लिए जो भी हथकंडे अपनाते रहें, उनके गलत क्रियाकलापों के बारे में की जा रही जांच को जारी रखा जाएगा और दोषियों को दण्डित किया जाएगा। लेकिन मैं यह आश्वासन देता हूँ कि इस प्रक्रिया में किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा।

"समन्दर को गुमान है ग़र तूफाँ उठाने का,
तो हमें भी शौक़ है, क़श्ती वहीं चलाने का।"

11. विगत दो वर्षों में तेल, प्राकृतिक गैस, धातुओं तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में वैश्विक वृद्धि के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उत्साहवर्धक नहीं रही। इस कारण हर तरफ मूल्य वृद्धि हुई, जिससे कॉरपोरेट लाभ वृद्धि और वास्तविक प्रयोज्य आय दोनों का क्षय हुआ। परिणामस्वरूप वर्ष 2010–11 के

9.3 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2012–13 में विकास दर सहसा घट कर 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

12. केन्द्र सरकार की बजट स्थिति कुल मिलाकर हाल के वर्षों में दबाव में रही है। लेकिन, वित्तीय सूझ–बूझ के उपायों से केन्द्र सरकार का वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता में वर्ष 2011–12 के 5.8 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2012–13 में 4.9 प्रतिशत तक नियंत्रित रखा गया। थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति की औसत दर 2011–12 के 9 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2012–13 में घट कर 7.4 प्रतिशत रही, जो कि अब माह दिसम्बर, 2013 में और घटकर 6.16 प्रतिशत हो गई है।

13. वित्तीय सन्तुलन के स्थिर होने और मुद्रा स्फीति के कम होने से अर्थव्यवस्था सुधार की ओर अग्रसर है। मॉनसून की वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई है उसी तरह खरीफ की फसल भी अच्छी हुई है। अच्छी वर्षा के फलस्वरूप रबी की फसल भी अच्छी होने के आसार हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विकास दरों में महत्त्वपूर्ण सुधार की आशा है।

14. हिमाचल प्रदेश ने विकास की एक लम्बी यात्रा तय की है। कांग्रेस के नेतृत्व की केन्द्रीय सरकारों की निरन्तर सहायता तथा मार्गदर्शन से हमारा राज्य, देश में विकास के क्षेत्र में आदर्श राज्य के रूप में उभरा है।

15. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल की अर्थव्यवस्था भी वैश्विक तथा राष्ट्रीय मन्दी के कारणों से प्रभावित हुई है। इसके कारण राज्य में जलविद्युत दोहन तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों में निवेश में कमी आई है। अब मूल्य स्थिरता की वापसी, केन्द्र सरकार की अनुकूल नीतियों व प्रशासनिक उपायों तथा मेरी सरकार की प्रगतिशील नीतियों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में

सुधार नज़र आ रहा है। अब हमारे समक्ष हिमाचल प्रदेश में निवेश बढ़ाने की चुनौती है। वर्ष 2013–14 में विकास दर 6.2 प्रतिशत होने की सम्भावना है।

16. वर्ष 2013–14 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2012–13 के ₹73,710 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013–14 में बढ़कर ₹82,585 करोड़ हो गया है। वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 2012–13 की तुलना में ₹83,899 प्रति व्यक्ति आय का वर्ष 2013–14 में बढ़कर ₹92,300 होने का अनुमान है।

17. मेरी सरकार वार्षिक योजनाओं के माध्यम से विकास की गति को बनाए रखने के लिए कृतसंकल्प है। आगामी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत, भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2014–15 के नियमित बजट के स्थान पर अंतरिम बजट प्रस्तुत करने जा रही है। इस कारण केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को राज्य वार्षिक योजना के लिये हस्तान्तरित किए जाने वाले संसाधनों की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिर भी, हम वर्ष 2013–14 की ₹4,100 करोड़ की तुलना में 2014–15 के लिए ₹4,400 करोड़ की वार्षिक योजना का आकार प्रस्तावित कर रहे हैं। इसमें अनुसूचित–जाति उप–योजना के लिए ₹1,108 करोड़, जन–जातीय उप–योजना के लिए ₹395 करोड़ और पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के लिए ₹45 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

18. अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य की नाजुक वित्तीय स्थिति की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 13वें वित्तायोग द्वारा राज्य की प्रतिबद्ध देनदारियों को बहुत ही कम आंका गया। वेतन पर किया जाने वाला व्यय, कुल राजस्व व्यय, पैंशन तथा ब्याज देनदारियों को निकालकर, 35 प्रतिशत के स्तर पर सीमित किया गया जो कि वास्तविकता से बिल्कुल परे था। 13वें वित्तायोग द्वारा हिमाचल जैसे विशेष श्रेणी राज्य को प्राथमिकता देने की बात तो दूर, उसे दूसरे राज्यों के बराबर भी नहीं रखा गया। जबकि 13वें वित्तायोग ने 12वें वित्तायोग की तुलना में औसत 126 प्रतिशत अधिक संसाधनों का

हस्तान्तरण राज्यों के लिए किया किन्तु हिमाचल को केवल 50 प्रतिशत की वृद्धि ही दी गई जो कि देश भर में सबसे कम है। हिमाचल को अगर सभी प्रदेशों की औसत 126 प्रतिशत वृद्धि की दर से ही धन राशि प्रदान की जाती, तो राज्य को पांच वर्ष की अवधि में यानि वर्ष 2010–2015 के मध्य ₹10,725 करोड़ की अतिरिक्त निधि का अन्तरण होता। प्रदेश के वित्तीय संसाधन इस कमी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुये। 13वें वित्तायोग द्वारा वर्ष 2013–14 में दी गई गैर–योजना राजस्व घाटा अनुदान राशि ₹1,313 करोड़ की राशि की तुलना में घटकर वर्ष 2014–15 में ₹406 करोड़ रह जाएगी, जिससे राज्य संसाधनों में एक ही वर्ष में ₹907 करोड़ की कमी होगी। मेरी सरकार ने वर्ष 2012–13 में विश्व बैंक से सफलतापूर्वक ₹550 करोड़ की सहायता प्राप्त की और निकट भविष्य में और ₹550 करोड़ मिलने की सम्भावना है। चूंकि यह विशेष सहायता केवल दो वर्षों के लिये थी, इसलिए वर्ष 2014–15 में इस प्रकार की कोई विशेष सहायता राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होगी, जिससे हमारे संसाधनों में और कमी आएगी।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार भाखड़ा–ब्यास प्रबन्धन बोर्ड से हमें 7.19 प्रतिशत की दर से वर्ष 1966 से बकाया राशि प्राप्त होने की आशा थी, परन्तु पड़ोसी राज्यों के असहयोग तथा उदासीन रवैये के कारण हमारे राज्य को यह न्यायसंगत अधिकार नहीं मिला और अब यह मामला पुनः सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

20. अध्यक्ष महोदय, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, मेरी सरकार, राज्य के समग्र विकास की गति को बनाये रखने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु दृढ़संकल्प है। हम राज्य स्तर पर वित्तीय सूझ–बूझ व कारगर राजस्व वसूली द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील रहेंगे।

हम अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा उसके प्रयासों के अनुश्रवण के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित करेंगे। हम राज्य में अधिक संसाधन जुटाने के लिए नई सोच एवं कारगर सुझाव देने वालों को भी प्रोत्साहित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय,
यहां मैं कहना चाहूंगा कि

'वो मुन्तज़िर नहीं है, दरिया के खुष्क होने का,
वो रोज़ तैर के दरिया को पार करता है।'

21. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, राज्य की संसाधन जुटाने की कार्यनीति का एक अहम घटक हैं। इसके अन्तर्गत मिलने वाली राशि 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हम क्षेत्र विशेष में वैश्विक स्तर पर प्रचलित आधुनिकतम तकनीक प्राप्त करने से भी लाभान्वित होते हैं। हमने विश्व बैंक से धनराशि प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को हिमाचल प्रदेश सड़क परियोजना (चरण–II) के अन्तर्गत ₹3,800 करोड़ की प्रस्तावना की है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में ₹1,507 करोड़ की लागत की वन पारिस्थितिकीय प्रबन्धन एवं आजीविका परियोजना **(Forests Eco-Systems Management and Livelihoods Project)** वित्तपोषण हेतु जापान अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एंजेसी **(JICA)** को प्रस्तुत की है। ₹217 करोड़ की कुल लागत की एक और परियोजना **'Himchal Pradesh Forest Eco-Systems Climate Proofing Project',** जर्मन फन्डिग एजेन्सी–**KFW** को प्रस्तुत की गई है, जिस पर वार्ता अन्तिम चरण में है।

22. भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा नागरिक हितैषी प्रशासन और जनता को समयबद्ध सरकारी सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेरी

सरकार ने और अधिक सेवाओं को जन सेवा गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया है।

23. मैं सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने के लिए एक टोल–फ्री नम्बर की घोषणा करता हूँ, जहां शिकायत पर शीघ्रता से कार्यवाही की जाएगी। मैं यह भी आश्वासन देता हूँ कि शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

24. मैं सभी सरकारी विभागों के लिए **'Common Public Services Delivery Help Line'** स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। नागरिक किसी भी सेवा में कमी पाए जाने पर इस हैल्प लाईन के द्वारा शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। यह हैल्प लाईन तुरन्त सम्बन्धित सरकारी विभाग को शिकायत अग्रेषित करेगी तथा सम्बन्धित विभाग शिकायतों के निवारण के लिए शीघ्र सुधारात्मक पग उठाएंगे।

25. राज्य सरकार सभी विभागों में कार्यकुशलता बढ़ाने तथा सेवाएं प्रदान करने में तेजी लाने के उद्देश्य से वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन सुनिश्चित करेगी। लोक निर्माण तथा सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभागों के विकासात्मक कार्यों को गतिशीलता प्रदान करने के लिए तकनीकी तथा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने की शक्तियों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

26. मैं घोषणा करता हूँ कि वर्ष 2014–15 में प्रदेश के 6 विभागों लोक निर्माण, सिंचाई एव जन–स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन, परिवहन तथा स्वास्थ्य में और अधिक निवेश लाने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।

27. वर्तमान में अधिकतर सरकारी विभाग धन व्यय को अपनी कार्यसंपादन का आधार बनाते हैं, जबकि राज्य की आम जनता की रूचि उस व्यय के वास्तविक प्रतिफल पर रहती है। इस प्रयोजन से राज्य सरकार ने सभी विभागों में **Results Framework Document** तैयार कर **'Performance Monitoring and Evaluation System'** अपनाया है। इन **RFDs** को अधिक प्रभावी तथा जनमानस के अनुकूल बनाने के लिए, मैं प्रस्तावित करता हूँ कि सभी विभाग राज्य में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 5 से 7 माप योग्य महत्वपूर्ण गतिविधियां चिन्हित करेंगे, जिनसे राज्य में आम जनता को सीधे लाभ प्राप्त होता हो। यह माप योग्य लक्ष्य सम्बन्धित विभाग मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति से आगामी तीन माह में अनुमोदित करवाएंगे। इसके उपरान्त उपलब्धियों का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।

28. नागरिकों को घर द्वार पर सरकारी सेवाएं प्रदान करने हेतु पंचायत स्तर पर लगभग 2,500 लोकमित्र केन्द्र स्थापित किए गए है। हम इन केन्द्रों पर अधिक से अधिक सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव रखते हैं। दिल्ली व चण्डीगढ़ में रहने वाले हिमाचलियों की सुविधा के लिए हिमाचल भवन नई दिल्ली व चण्डीगढ़ में एक–एक लोक–मित्र केन्द्र खोला जाएगा।

29. कार्यालय काम–काज में पारदर्शिता लाने तथा कार्यालयों को कागज रहित बनाने की दिशा में अग्रसर होते हुए, मैं आगामी वित्तीय वर्ष में 10 सरकारी कार्यालयों में ई–आफिस सॉफ्टवेयर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। जो कार्यालय इस सॉफ्टवेयर को लागू करेंगे, वे पूर्णतया इलैक्ट्रानिक माध्यम से कार्य करेंगे तथा इन कार्यालयों में सभी कागज तथा नस्तियां डिजिटल होंगी। यह पारदर्शी एवं कार्यकुशल प्रशासन सुनिश्चित करने में एक मील पत्थर साबित होगा।

30. अध्यक्ष महोदय, श्रीमति सोनियां गांधी के दूरदर्शी नेतृत्व में यू.पी.ए. सरकार ने गत वर्ष हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है। हिमाचल प्रदेश इस महत्वाकांक्षी विधेयक को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य था। हम अपने प्रदेश के लगभग 37 लाख लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चलाई जा रही राजीव गांधी अन्न योजना में ₹2 तथा ₹3 की दर पर सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहे हैं। मेरी सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों से भी आगे जाकर गरीबी रेखा के नीचे के राज्य के समस्त परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है जिस पर हम ₹20 करोड़ वार्षिक व्यय करेंगे।

"पेश–ए– ख़िदमत है बजट खुशहाली का,
ख़्याल है हमको हरेक मुफ़लिस की थाली का"।

31. हमने अपने पिछले कार्यकाल में राज्य के सभी उपभोक्ताओं को 3 दालें, 2 खाद्य तेल व आयोडीन युक्त नमक उपदान पर उपलब्ध करवाना आरम्भ किया था। हमने इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में ₹175 करोड़ का बजट प्रावधान रखा है। जिसे मैं 2014–15 में बढ़ाकर ₹220 करोड़ करना प्रस्तावित करता हूँ ताकि लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाई जा सके।

32. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। हम ई–गर्वनैन्स के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। राशन कार्डों के कम्प्यूटरीकरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के ऑटोमेशन के लिए ₹14.23 करोड़ की परियोजना को आरम्भ करेंगे।

33. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लागू होने से राज्य की बिखरी हई आबादी को समय पर खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मात्रा में गोदामों की उपलब्धता आवश्यक है। राज्य में पिछले 5 वर्षों में खाद्यान्न भण्डारण की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए गए। मेरी सरकार का यह प्रयास होगा कि आगामी 4 वर्षों में 30,000 मीट्रिक टन के खाद्यान्न भण्डारण की अतिरिक्त क्षमता का सृजन किया जाए।

34. मैं प्रस्तावित करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के एल.पी.जी. उपभोक्ताओं की एल.पी.जी. सिलेण्डर बुक करवाने की सुविधा हेतु आगामी वर्ष से एक टोल–फ्री नम्बर आरम्भ किया जाएगा। मैं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए वर्ष 2014–15 में ₹238 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

35. अध्यक्ष महोदय, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे राज्य में 69 प्रतिशत जनसंख्या अपनी जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर निर्भर है। इसके दृष्टिगत कृषि क्षेत्र को सरकार से भरपूर सहायता की दरकार है, जिसके लिए सरकार कृतसंकल्प है।

36. प्रदेश की विविधतापूर्ण जलवायु उच्च मूल्य की फसलें उगाने के लिए प्रचुर अवसर प्रदान करती है। प्रदेश में बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन की बहुत क्षमता है। राज्य में बेमौसमी सब्जियों का वार्षिक उत्पादन, लगभग ₹2,500 करोड़ के कारोबार के साथ, 14 लाख मीट्रिक टन के स्तर तक पहुँच गया है। अभी भी बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के विस्तार की अपार सम्भावनाएं हैं, क्योंकि अभी तक कृषि योग्य क्षेत्र का केवल 10 प्रतिशत ही सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत लाया गया है। मैं वर्ष 2014–15 में 4,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत लाये जाने का प्रस्ताव

रखता हूँ। मैं इस प्रयोजन के लिए ₹55 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

37. मैं आगामी वर्ष में ₹100 करोड़ के प्रावधान के साथ "डॉ. वाई.एस. परमार किसान स्वरोज़गार योजना" आरम्भ करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत हमने 8.30 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में 4,700 पॉलीहाऊस लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को **Horticulture Technology Mission** के उपदान के साथ मिलाकर 85 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा। इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2016–17 तक 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इससे केवल सब्जियों के उत्पादन में ही वृद्धि नहीं होगी बल्कि लगभग 20,000 लोगों के लिये रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे।

38. मेरी सरकार प्रदेश में कॉफी उत्पादन की सम्भावनाएं तलाश रही है। भारत सरकार के कॉफी बोर्ड ने पहले ही सम्भावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर लिया है। कांगड़ा, मण्डी, ऊना व बिलासपुर ज़िलों में कॉफी की खेती की सम्भावनाएं हैं। वर्ष 2014–15 में कॉफी बोर्ड के तकनीकी मार्गदर्शन में इन ज़िलों में कॉफी डिमौन्स्ट्रेशन प्लाट लगाए जाएंगे।

39. वर्ष 2013–14 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की एक पंचायत में कृषि गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए "मुख्य मन्त्री आदर्श कृषि गांव योजना" आरम्भ की गई थी। प्रत्येक पंचायत को कृषि अधोसंरचना के सृजन तथा उन्नयन के अन्तर को भरने के लिए ₹10 लाख की निधि उपलब्ध करवाई गई थी, जिसके अच्छे परिणाम आये हैं। वर्ष 2014–15 में 68 अतिरिक्त पंचायतों यानि प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र की एक और पंचायत को इस योजना के तहत लाया जाएगा जिसके लिए पंचायतों को ₹6.80 करोड़ दिए जाएंगे।

40. उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विपणन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम वर्ष 2014–15 में मेंहदली, फतेहपुर, अणु, भडशाली, जुखाला, टूटु, टापरी तथा शिलाई में मार्किट यार्ड निर्मित करना प्रस्तावित करते हैं। मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने समस्त सब्जियों तथा फलों जैसे कि आम, आडू, अनार, किन्नु तथा मालटा पर विपणन शुल्क उगाही **(Market Fee)** पर छूट देने का निर्णय लिया है। इससे उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों लाभान्वित होगें। मैं कृषि क्षेत्र के लिए ₹384 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित करता हूँ।

41. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की भौगोलिक विविधता, बागवानी के लिए अपार सम्भावनाएं प्रदान करती है। उद्यान में स्थाई विकास के लिए उत्पादन वृद्धि पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में सेब, नाशपाती, चैरी, अखरोट तथा स्ट्राबरी के रूट स्टाक **(Root Stock)** की उन्नत प्रजातियों को आयात कर उत्पादन वृद्धि की प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा।

42. फल फसलों, विशेषकर सेब को, ओलों से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने एण्टी हेल नेट पर उपदान को बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया है। वर्ष 2014–15 में बागवानों को गुणवत्ता वाले एण्टी हेल नेट उपलब्ध करवा कर अतिरिक्त 15 लाख वर्गमीटर क्षेत्र को ओलावृष्टि से बचाया जाएगा। 'ऐप्पल रिजुविनेशन प्रोजेक्ट' के मार्गनिर्देशों में पुराने पौधों को उखाड़ने के लिए सहायता प्रदान करना शामिल करके इसे कृषक हितैषी बनाया गया है। वर्ष 2014–15 में रीवेम्पड ऐप्पल रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 1500 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत लाए गए बागीचों में आवश्यक रूप से 30 प्रतिशत पॉलीनाईजर तथा सूक्ष्म सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। वर्ष 2014–15 में 1,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है।

43. हमारे पर्वतीय राज्य में मौसम की अनिश्चितताएं बागवानी फसलों के उत्पादन व उत्पादकता को अत्याधिक प्रभावित कर सकती हैं। वर्तमान में सेब तथा आम की फसलों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जा रहा है। हम इस योजना के सार्थक विस्तार का प्रस्ताव करते हैं। आगामी वित्तीय वर्ष से सेब की फसल के लिए वर्तमान के 17 विकास–खण्डों के बजाय 35 विकास–खण्ड इस योजना के दायरे में लाए जाएंगे। आम की फसल के लिए वर्तमान के 10 विकास–खण्डों के बजाय 42 विकास–खण्ड इस योजना में सम्मिलित किए जाएंगे। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि आगामी वर्ष से बड़ी संख्या में बागवानों को लाभ पहुँचाने के लिए अतिरिक्त फल जैसे कि आड़ू, आलूचे तथा किन्नू को चयनित खण्डों में मौसम आधारित बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा।

44. मेरी सरकार फल उत्पादकों के लाभ के लिए कोल्ड चेन नेटवर्क के तहत **Controlled Atmosphere Stores** तथा राज्य के प्रमुख फल उत्पादक क्षेत्रों में स्वचलित पैकिंग व ग्रेडिंग लाईन स्थापित कर फसल कटाई उपरान्त की सुविधाएं प्रदान करने हेतु कृतसंकल्प है। **Controlled Atmosphere Stores** की बढ़ती मांग के दृष्टिगत इन सुविधाओं को निकट भविष्य में जिला शिमला, चम्बा तथा कुल्लु में प्रदान करने की योजना है। हिमाचल प्रदेश में बागवानी के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसे निजी निवेशक, जो राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में **Controlled Atmosphere Stores** स्थापित करने में रूचि रखते हों, को एक रुपये की सांकेतिक राशि पर सरकारी भूमि पट्टे पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

45. आगामी वित्तीय वर्ष में एच.पी.एम.सी. द्वारा शिमला जिला में ₹15 करोड़ की लागत से एक **Apple Juice Concentrate** संयन्त्र स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ₹12 करोड़ का निवेश कर एच.पी.एम.सी. द्वारा

परवाणु स्थित फल विधायन संयन्त्र केन्द्र की क्षमता का उन्ययन किया जाएगा। हम आगामी वित्त वर्ष में जिला बिलासपुर के घुमारवीं तथा जिला हमीरपुर के नादौन में क्रमशः ₹435 लाख तथा ₹353 लाख के दो **Vegetable Pack Houses** स्थापित कर, एच.पी.एम.सी. के माध्यम से सब्जी विधायन की गतिविधियां भी आरम्भ करेंगे। मैं वर्ष 2014–15 में बागवानी के लिए ₹192 करोड़ का बजट प्रावधान करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

46. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी सरकार पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्ध है। हम शुक्राणु केन्द्र पालमपुर में ₹4 करोड़ की लागत से 50 लीटर प्रति घण्टा की क्षमता वाला एक नया द्रव्य नाईट्रोजन गैस संयन्त्र स्थापित करना प्रस्तावित करते हैं। यह कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाओं के सुधार में सहायक होगा। पशुपालकों को हस्तचालित तथा ऊर्जा चलित चारा मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि पहले से ही कम उपलब्ध चारे को व्यर्थ होने से बचाया जा सके। इस प्रयोजन के लिए ₹10 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी।

47. प्रदेश के दुग्ध विधायन संयत्रों का आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा पुरानी दुग्ध अभिशीतन इकाईयों के स्थान पर बल्क मिल्क कूलर लगाए जाएंगे ताकि दूध की गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ कार्य की लागत को कम किया जा सके। रिकांग–पिओ में एक नया दुग्ध कूलर भी स्थापित किया जाएगा। जिला ऊना के लालसिंगी में एक नया सम्पीड़ित चारा संयंत्र **(Compressed Fodder Plant)** स्थापित किया जाएगा। हमीरपुर ज़िले की भोरंज तहसील के भौर में एक खनिज मिश्रण संयंत्र तथा एक यूरिया शीरा संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

48. मेरी सरकार हमारे राज्य के भेड़ पालकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए कृतसंकल्प है। मैं विभिन्न किस्मों की ऊन के खरीद मूल्यों में 7.5 प्रतिशत से 32.5 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव करता हूँ। इससे राज्य में 4000 भेड़–पालकों को लाभ होगा। हम भेड़ तथा बकरियों के चरागाह परमिट की प्रक्रिया को भी कारगर बनाएंगे।

49. ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या गंभीर है। आवारा पशुओं के आश्रय तथा चारा प्रदान करने के लिए हम गैर सरकारी संस्थाओं को वर्तमान गौसदनों को सुदृढ़ करने तथा नए गौसदन खोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा इसके लिए उन्हें उपयुक्त सहायता दी जाएगी। नूरपुर में खजियां में स्थित गौसदन का सम्वर्द्धन किया जाएगा। ऐसा देखा गया है कि आवारा पशुओं में नर पशुओं की संख्या अधिक है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि आवारा पशुओं की संख्या नियन्त्रित करने के लिए पशुपालकों को मादा आधिपत्य शुक्राणु उपलब्ध करवाएं जाऐंगे, जिससे आवारा पशुओं की संख्या में कमी आएगी।

मैं पशुपालन क्षेत्र के लिए ₹279 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित करता हूँ।

50. हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन के विकास की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में 11,000 से अधिक मछुआरे इस व्यवसाय से जुड़े हैं। जलाशय मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से गोविन्द सागर तथा पौंग जलाशयों में ₹334 लाख की लागत से केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान **(CIFRI)** बैरकपुर कोलकता द्वारा केज फिश कल्चर **"Cage Fish Culture"** की एक नई तकनीक प्रदर्शित की जाएगी। हम मछुआरों के लिए अपने मुख्य शहरों में उपयुक्त बाजार उपलब्ध करवाने हेतु मोबाईल फिश मार्किट योजना लागू करेंगे। इन मोबाईल फिश मार्किट वाहनों द्वारा यह

सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका उत्पाद उपयुक्त बाजारों में समय पर पहुँचे। हम आगामी वित्तीय वर्ष से इस प्रकार की 4 मोबाईल फिश मार्किट आरम्भ करने का प्रस्ताव करते हैं। मैं राज्य के सभी मत्स्य उत्पादकों को बिना प्रीमियम के **'Group Accidental Fishermen Insurance Scheme'** के दायरे में लाने की घोषणा करता हूँ।

51. अध्यक्ष महोदय, वन संरक्षण एवं विकास मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। वनों के दक्ष प्रबन्धन के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 205 नए वन रक्षक भर्ती किए गए हैं। हमने वर्ष 2014–15 के लिए 10,000 हैक्टेयर वन क्षेत्र में लैन्टाना उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभाग लैन्टाना उन्मूलन के लिए क्षेत्र विशेष को चुनेगा तथा जब एक बार किसी क्षेत्र से लैन्टाना की सफाई की जाती है तो उसे लैन्टाना मुक्त रखा जाएगा। हम वर्ष 2014–15 में 91 प्रजातियों के 45 लाख जड़ी–बूटियों के पौधे रोपित करेंगे।

52. वनों की आग एक महाविपत्ति है जो वर्षों के प्रयत्नों से संजोई हुई वन सम्पदा को नष्ट कर देती है। राज्य सरकार ने वनों को आग से बचाने के लिए **National Remote Sensing Centre** हैदराबाद के सहयोग से उपग्रह आधारित अग्नि संचेतन प्रणाली विकसित की है। इस व्यवस्था से वनों में आग की सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से तत्काल सम्बन्धित वन रक्षक तथा अन्य अधिकारियों तक पहुँच जाएगी, जिससे वनों में आग को नियन्त्रित करने तथा प्रभावी प्रबन्धन में मदद मिलेगी। हमारा राज्य इस नवीनता **(Innovation)** में अग्रणी है।

53. हमारी सरकार बन्दरों द्वारा कृषि फसलों को नुकसान पहुँचाने के विषय पर गंभीर है। अभी तक लगभग 75,000 बन्दरों की नसबन्दी की जा चुकी है। भविष्य में बन्दरों की अधिक संख्या वाले विशेष क्षेत्रों में नसबन्दी अभियान

जारी रहेगा। राज्य सरकार वनों में ऐसे पौधारोपण पर बल देगी जिससे बन्दरों को वनों में ही पर्याप्त आहार मिल सके। इस उद्देश्य के लिए वन क्षेत्रों में जंगली फल प्रजातियों तथा सरस फलों **(Berries)** के पौधे लगाए जाएंगे। हम बंदरों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अन्य सम्भावनाएं भी तलाशेंगे।

54. भवनों तथा गौशालाओं के निर्माण, मुरम्मत, फेरबदल में इमारती लकड़ी प्राप्त करने में जनता को पेश आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए टिम्बर वितरण नियमों को लोगों की अपेक्षानुसार दिसम्बर, 2013 में संशोधित तथा अधिसूचित कर दिया गया है। अब हकदारों को गृह निर्माण के लिए 15 वर्ष तथा गृह मुरम्मत के लिए 5 वर्ष के अन्तराल में टी.डी. मुहैया करवाई जाएगी जो पूर्व में क्रमशः 30 वर्ष व 15 वर्ष के बाद दी जाती थी। इसी प्रकार गृह निर्माण के लिए टी.डी. की मात्रा 3 घन मीटर से बढ़ाकर 7 घन मीटर तथा मुरम्मत के लिए टी.डी. मात्रा को 1 घन मीटर से बढ़ाकर 3 घन मीटर कर दिया है।

55. अध्यक्ष महोदय, वनों के विशाल विस्तार तथा मानव बस्तियों की वन से निकटता के कारण मनुष्य और वन्य प्राणियों में परस्पर संघर्ष अपरिहार्य है। मैं, वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली क्षति के मुआवजे की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव करता हूँ। जंगली जानवरों के कारण मनुष्य की मृत्यु पर मुआवज़ा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख किया जाएगा। गम्भीर चोट के मामलों में मुआवज़ा राशि ₹33,000 से बढ़ाकर ₹75,000 तथा साधारण चोट के लिए मुआवज़ा वर्तमान के ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया जाएगा। इसी प्रकार पशुधन व अन्य जानवरों के नुकसान में भी मुआवज़ा यथोचित रूप से बढ़ाया जाएगा।

56. अध्यक्ष महोदय, वनों के दीर्घकालीन संरक्षण में लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने लोगों की वन संरक्षण में रूची एवं भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए **Payment of Ecological Services** की नीति अधिसूचित की है। मैं वन विभाग के लिये ₹437 करोड़ का बजट आवंटन प्रस्तावित करता हूँ।

57. मेरी सरकार राज्य में सहकारिता आभियान को सृदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिलासपुर, हमीरपुर तथा सिरमौर जिलों में एकीकृत सहकारिता विकास परियोजनाएं **(ICDP)** सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही हैं। हम राष्ट्रीय सहकारिता विकास परिषद् **(NCDC)** की सहायता से जिला कांगड़ा शिमला और कुल्लु के लिए ₹85 करोड़ की 3 नई एकीकृत सहकारिता विकास परियोजनाएं लागू करना चाहते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश सहकारिता कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटिड के लिए ₹235 करोड़ की सरकारी प्रतिभूति भी दी है।

58. अध्यक्ष महोदय, महात्मां गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना भारत सरकार का प्रमुख (फ्लैगशिप) कार्यक्रम है। हम मनरेगा के साथ राज्य संसाधनों का तालमेल बिठाकर गुणात्मक तथा उपयोगी परिसम्पत्तियां तैयार कर सकते हैं। हमने शाह नहर परियोजना से किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग व सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मध्य व्यक्ति, सामग्री एवं संसाधन के ताल–मेल का ऐसा महत्वपूर्ण मॉडल तैयार किया है। मैं आगामी वित्तीय वर्ष में विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत जिलाधीशों को जारी की जाने वाली राशि में से 20 प्रतिशत राशि अनन्य रूप से मनरेगा के साथ अभिमुख करने हेतु निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूँ। हमने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौचमुक्त करने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में **Solid Liquid Waste Management** के लिए नवीन और वृहद् स्तर का प्रयास करेंगे। वर्ष

2014–15 में निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग ₹90 करोड़ व्यय किए जाएंगे।

59. वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन **(NRLM)** के अन्तर्गत सघन मोड में 10 अतिरिक्त विकास खण्ड लाये जाएंगे। 3500 महिला स्वयं सहायता समूहों **(SHGs)** को ₹100 करोड़ की ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार का सदैव यह प्रयास रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को मूलभूत सुविधाओं सहित आवास उपलब्ध करवाये जाएं। वर्ष 2014–15 में विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत ₹75,000 प्रति आवास की अनुदान दर से 10,700 नए आवासों का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में अनुसूचित–जाति, अनुसूचित–जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के परिवारों को छोड़कर अन्य श्रेणियों को गृह मुरम्मत हेतु अनुदान देने का कोई प्रावधान नहीं है। हम आगामी वित्तीय वर्ष में सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के लिए भी राजीव आवास योजना के अन्तर्गत गृह मुरम्मत हेतु प्रावधान करेंगे।

60. प्रदेश में जल के उचित उपयोग व भू–सरंक्षण के उद्देश्य से एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। वर्ष 2014–15 में 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा। वर्ष 2014–15 में एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम पर लगभग ₹190 करोड़ की राशि व्यय की जायेगी। हम इस कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के साधन बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

61. राज्य सरकार आधार स्तर पर लोकतन्त्र के सुदृढ़ीकरण के लिए वचनबद्ध है। हम ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के 245 रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव करते हैं ताकि प्रत्येक पंचायत को कम से कम एक पंचायत सचिव या पंचायत सहायक उपलब्ध हो, जो लोगों को समय पर सेवाएं प्रदान

कर सके। हाल ही में लागू किए गए राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान **(RGPSA)** के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को ₹55 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। हम इस परियोजना के अन्तर्गत 200 ग्राम पंचायत कार्यालयों के उन्नयन तथा पंचायतों में 1,425 लैपटॉप व प्रिन्टर उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव करते हैं।

62. ग्राम पंचायतों की विभिन्न गतिविधियों में सहायता हेतु पंचायतों ने राज्य में 3,243 चौकीदारों को नियुक्त किया है। राज्य सरकार प्रत्येक पंचायत को ₹1,650 प्रति चौकीदार की दर से अनुदान प्रदान कर रही है और मानदेय की शेष राशि का भुगतान ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जा रहा है। मैं इस अनुदान राशि को ₹1,650 से बढ़ाकर ₹1,850 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव करता हूँ।

63. चतुर्थ राज्य वित्तायोग ने इस वर्ष 20 जनवरी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आयोग ने वर्ष 2012–2017 की अवधि में ₹858 करोड़ के उदार अनुदान की अनुशंसा की है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को ₹476 करोड़ का अनुदान तथा शहरी स्थानीय निकायों को ₹382 करोड़ का अनुदान देने की अनुशंसा की गई है। मेरी सरकार आधार स्तर पर लोकतान्त्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए आयोग की सिफारिश के अनुसार स्थानीय निकायों को संसाधनों का हस्तान्तरण करेगी।

64. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सौंपे गए दायित्वों से पूरी तरह से अवगत है। इसके दृष्टिगत मैं 1 अप्रैल, 2014 से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने की घोषणा करता हूँ। जिला परिषद् अध्यक्ष के मानदेय को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,500, उपाध्यक्ष के मानदेय को ₹3,500 से बढ़ाकर ₹4,500 तथा सदस्य जिला परिषद् का मानदेय ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,400 प्रतिमाह किया

जाएगा। पंचायत समिति के अध्यक्ष को ₹2,500 से ₹3,500, उपाध्यक्ष को ₹2,000 से ₹2,400 तथा सदस्य का मानदेय ₹1,800 से बढ़ाकर ₹2,100 प्रतिमाह किया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रधान का मानदेय ₹1,800 से बढ़ाकर ₹2,100, उप प्रधान का मानदेय ₹1,500 से बढ़ाकर ₹1,800 प्रतिमाह तथा बैठक में भाग लेने हेतु सदस्यों का प्रति बैठक भत्ता ₹175 से बढ़ाकर ₹200 किया जाएगा। इस वृद्धि के बाद पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को ₹30 करोड़ प्रतिवर्ष का मानदेय प्राप्त होगा। मैं पंचायती राज के लिए ₹355 करोड़ का बजट आवंटन प्रस्तावित करता हूँ।

65. अध्यक्ष महोदय, राजस्व प्रशासन में पटवारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे सत्ता संभालने के समय पटवारियों के बहुत से पद रिक्त थे। हमने सफल प्रशिक्षण के उपरान्त पटवारियों के सभी रिक्त पदों को भरने हेतु 778 पटवारी प्रार्थियों के चयन के लिए पग उठाए हैं। राजस्व अदालतों में मुकद्मों को कम करना मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस दिशा में बढ़ते हुए हमने भुंतर तथा बल्ह में दो नई तहसीलें सृजित की गई हैं जबकि कोटली उप–तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील बनाया गया है। धामी, ईसपूर, कोटला, जोल, नारग व कोटगढ़ में 6 नई उप–तहसीलें सृजित की गई हैं। मैंने गुलेर में हरिपुर, इंदौरा में गंगथ, सिरमौर जिले में पझौता व कांगड़ा जिले में पंचरूखी में 4 अन्य नई उप–तहसीलें बनाए जाने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त मैंने ज्वालामुखी तथा शिलाई में दो नए उप–मण्डल बनाए जाने की भी घोषणा की है। हम सभी राजस्व अदालतों में लम्बित मामलों को आगामी एक वर्ष में 20 प्रतिशत तक कम करने के लिए एक विशेष अभियान चलाएंगे।

66. मेरी सरकार को प्रदेश के भूमिहीनों तथा बेघर लोगों की गहन चिन्ता है। हमने ऐसे लोगों को घर के निर्माण के लिए भूमि आबंटन की एक योजना

तैयार की है। कोई भी बेघर परिवार जिसकी वार्षिक आय ₹50,000 या इससे कम हो, उन्हें घर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा तथा शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा भूमि आबंटित की जाएगी। भूमि का आबंटन करने के लिए उपायुक्तों को अधिकृत किया गया है। मैं राजस्व विभाग के लिये ₹490 करोड़ का बजट आबंटन प्रस्तावित करता हूँ।

67. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने तथा प्रदेश के किसानों को सिंचाई सुविधाएं मुहैया करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती आ रही है। प्रदेश के सभी जनगणना गांवों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। हमारी मंशा प्रत्येक बस्ती को 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने की है। हम राज्य की समस्त बस्तियों को चरणबद्ध तरीके से 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। वर्ष 2014–15 में 2,500 बस्तिओं को 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पानी दिए जाने का लक्ष्य है। हम महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में वाटर ए.टी.एम. **(Water ATMs)** स्थापित करेंगे।

68. मानसून की अनिश्चितता के दृष्टिगत हमारी कृषि व बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था तीव्र गति से तभी विकसित हो सकती है यदि सिंचाई की पर्याप्त अधोसंरचना सृजित की जाए। हमने ₹311 करोड़ की शाहनहर मुख्य सिंचाई परियोजना पूर्ण कर ली है। इस परियाोजना में 15,287 हैक्टेयर को सी.सी.ए. के तहत् लाया जाएगा। इस के अतिरिक्त ₹66 करोड़ की लागत वाली सिद्धाता परियोजना भी पूर्ण कर ली गई है, जिससे 3,150 हैक्टेयर सी.सी.ए. पोषित होगा। चूंकि अधिकांश कमांड क्षेत्र लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा पोषित है, इसलिए वर्ष 2014–15 में लघु सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन पर ₹122 करोड़ व्यय किए जाएंगे जिससे 3,000 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। हमीरपुर के नादौन क्षेत्र की मध्यम सिंचाई परियोजना के कार्य में तेजी लाने के लिए ₹30 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। हम फिनासिंह मध्यम

सिंचाई परियोजना के कार्य को जारी रखेंगे तथा कोनसिल से झरेडा–मण्ड़ोप–थोणा मध्यम सिंचाई परियोजना का कार्य आरम्भ करेंगे। मैं किसानों के खेतों को सिंचाई से जोड़ने के लिए कमांड क्षेत्र विकास कार्यों हेतु ₹25 करोड़ का भी बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

69. मेरी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हिमाचल की जनता को पेयजल और हमारे किसानों को सिंचाई की सुविधाएं कम कीमतों पर प्राप्त हों। मैं इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को ₹240 करोड़ का ऊर्जा शुल्क जल–आपूर्ति तथा सिंचाई योजनाओं के लिए उपलब्ध करवाना प्रस्तावित करता हूँ।

70. मेरी सरकार के प्रयासों से हमने ₹922 करोड़ की स्वां तथा इसकी सहायक खड्डों का दौलतपर से गगरेट पुल तक तथा ₹180 करोड़ की जिला कांगड़ा की इंदौरा तहसील में छौंछ खड्ड के तटयीकरण की परियोजनाओं को स्वीकृत करवाया है। स्वां तटयीकरण के उचित तथा समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु सरकार ने मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश स्वां नदी तटयीकरण प्राधिकरण का गठन किया है। मैं सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के लिये ₹1,500 करोड़ का कुल बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।

71. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में 23,000 मैगावाट जलविद्युत दोहन की अपार क्षमता है। हम अभी तक केवल 8,432 मैगावाट जलविद्युत का ही दोहन कर पाए हैं। वर्ष 2014–15 में लगभग 2,000 मैगावाट की अतिरिक्त जलविद्युत क्षमता के दोहन का लक्ष्य रखा गया है।

मेरी सरकार प्रदेश की जलविद्युत क्षमता के शीघ्र दोहन के लिए लघु जलविद्युत परियोजनाओं की मद्द करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने जलविद्युत उत्पादकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, हिमाचल प्रदेश बिजली

नियामक आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इस समिति ने हाल ही में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। कमेटी की संस्तुति के अनुरूप मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लघु जलविद्युत उत्पादकों को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, राजस्व तथा मत्स्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेने वांछित नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं की साविधिक अनुमतियों के सभी पहलुओं पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु एक संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा।

वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित 2 मैगावाट की ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा प्रदेश सरकार को 12 वर्ष की अवधि के लिए 7 प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं भविष्य में लगाई जाने वाली ऐसी सभी परियोजनाओं से निःशुल्क ऊर्जा को 7 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। प्रदेश के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं 5 मैगावाट तक की जलविद्युत परियोजनाओं के आबंटन में हिमाचल प्रदेश के निवासियों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव रखता हूँ।

72. राज्य के जलविद्युत उत्पादकों ने जलविद्युत परियोजनाओं में प्रयोग होने वाले मशीनरी एवं संयंत्र पर प्रवेश शुल्क के बोझ को कम करने हेतु भी अनुरोध किया है। मैंने उनकी मांग पर विचार किया और मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि कोई भी मशीनरी एवं संयंत्र जो जलविद्युत उत्पादन के लिए स्थापित किये गये हों तथा जिसके लिये वैट की अदायगी कर दी गई हो, को प्रवेश शुल्क में 5 प्रतिशत की पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि जलविद्युत उत्पादन में प्रयोग होने वाली सभी प्रकार की मशीनरी एवं संयंत्र पर वैट 13.75 या 5 प्रतिशत, जो भी लागू हो, को भविष्य में घटा कर केवल 2 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे जलविद्युत के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

73. गत वर्ष के बजट में मेरी घोषणा के अनुरूप निःशुल्क बिजली के 1 प्रतिशत भाग का नगद हस्तान्तरण चमेरा–3 जलविद्युत परियोजना के प्रभावित लोगों को आरम्भ कर दिया गया है। इसे अब परियोजना की पूर्ण अवधि तक जारी रखा जाएगा।

74. जलविद्युत क्षमता का निष्क्रमण **(Evacuation)** करना मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2014–15 में किन्नौर के भोक्टू में 220/66/22 किलोवाट का सब–स्टेशन, कुल्लु में फोजल व चम्बा के करियां में 220/33 किलोवाट के सब–स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही प्रीणी–फोजल, करियां–रजेड़ा व सनैल–हाटकोटी–प्रगति नगर **Double Circuit** की 220 किलोवाट की संचार लाईन पूरी करने का भी लक्ष्य है।

75. राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी उपभोक्ताओं को 24 घण्टे बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति की जाए। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित **(HPSEBL)** प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक हर परिवार को बिजली उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित **(HPSEBL)** की वित्तीय स्थिति को पिछली सरकार द्वारा उत्तरोत्तर बिगड़ने दिया गया। मेरी सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए हर संभव पग उठाएगी। मैं घोषणा करता हूँ कि प्रदेश सरकार परिषद् के बकाया ऋण की ₹564 करोड़ की देनदारी स्वयं उठाएगी। इससे परिषद् की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इसके अतिरिक्त मैं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित **(HPSEBL)** के पक्ष में ₹898 करोड़ की सरकारी गारंटी देने का प्रस्ताव भी करता हूँ।

76. मेरी सरकार की यह दृढ़ सोच है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को सस्ती बिजली प्राप्त हो। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटिड से 25 प्रतिशत इक्विटी **(Equity)** के एवज़ में मिलने वाली सस्ती दर की बिजली को आजीवन, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित को प्रदान किया जाए। क्योंकि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटिड की बिजली की लागत भविष्य में उत्तरोतर घटती जाएगी, लोगों को इस कम लागत की बिजली का लाभ प्राप्त होता रहेगा। इसके अतिरिक्त घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हम राज्य विद्युत परिषद् सीमित को आगामी वर्ष में ₹330 करोड़ का उपदान भी प्रदान करेंगे। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त दर्शाए गए उपायों के अतिरिक्त, मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि राज्य सरकार परिषद को वर्ष 2014–15 में ₹50 करोड़ की इक्विटी प्रदान करेगी।

77. हिमाचल प्रदेश राज्य ऊर्जा विकास प्राधिकरण **(HIMURJA)** ने समूचे राज्य में नवीकरण ऊर्जा कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए गहन प्रयास किए हैं। हम काज़ा में 2 मैगावाट की क्षमता का **Solar Photo-Voltatic Power Plant** लगाने का प्रस्ताव करते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 में 5 मैगावाट तक की 65.10 मैगावाट कुल क्षमता की 16 लघु जल विद्युत परियोजनाएं लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग के लिये ₹985 करोड़ का कुल बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।

78. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार प्रदेश में सुनियोजित औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे माननीय सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि मेरी सरकार के अथक प्रयासों द्वारा विशेष औद्योगिक पैकेज की समय सीमा बढ़ाने के सकारात्मक परिणाम निकले हैं। भारत सरकार मार्च, 2017 तक

वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने वाली नई औद्योगिक इकाईयों तथा वर्तमान इकाईयों जिन्होंने पर्याप्त विस्तार कर लिया हो, पर पूंजी निवेश उपदान की समय–सीमा अवधि बढ़ाने के लिये सहमत हो गई है। इस लाभ के जारी रहने से औद्योगिक निवेश की गति को बढ़ावा मिलेगा तथा हमारे राज्य के युवाओं को रोज़गार भी उपलब्ध होगा। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय ने परिवहन उपदान की सुविधा की हमारी, समय अवधि बढ़ाने की मांग को भी स्वीकार कर लिया है और राज्य में माल–भाड़ा ढुलाई की उच्च कीमत को कम करने के उद्देश्य से नई माल–भाड़ा उपदान योजना अधिसूचित की है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योग विभाग में हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन प्रकोष्ठ स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि राज्य में औद्योगिक विकास से सम्बद्ध नीति सम्बन्धी मामलों पर चर्चा हेतु मंच प्रदान करने के लिये मेरी अध्यक्षता में एक उद्योग परामर्श परिषद् गठित की जायेगी, जिसमें उद्योगों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जायेगा।

79. मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ऊना जिला के पंडोगा तथा कांगड़ा जिला के कंदरोड़ी में ₹219 करोड़ के निवेश से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस **(State of the Art)** नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। राज्य सरकार अन्य जिलों में भी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए उपयुक्त भूमि चयनित करेगी।

80. केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा बद्दी में ₹147 करोड़ की लागत से टूल रूम स्थापित करने के निर्णय से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में अधोसंरचना सुदृढ़ करने के हमारे प्रयासों को बल मिला है। इसके लिए बद्दी के भटोली–कलां गांव में लगभग 100 बीघा भूमि

उपलब्ध करवाई गई है। इससे उद्योगों को तकनीकी सहायता तथा टूलिंग सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ–साथ बेरोज़गार युवाओं के कौशल विकास में भी सहायता मिलेगी।

81. राज्य सरकार नए निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से उद्योग मित्र वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। हमने स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रणाली को कारगर बनाया है तथा सभी मध्यम एवं बडी परियोजनाओं को 90 दिन की अवधि में स्वीकृति प्रदान करने के लिए सामान्य प्रार्थना प्रपत्र आरम्भ किया है। विभिन्न स्वीकृतियों को और अधिक सरल व कारगर बनाने तथा शीघ्र निपटाने के लिए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि जब मेरी अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय एकल खिड़की तथा अनुश्रवण समिति द्वारा किसी औद्योगिक इकाई को अनुमोदन प्रदान कर दिया जाता है, तो उसके तुरन्त बाद इकाई की स्थापना के लिए **HP Tenancy and Land Reforms Act** की धारा 118 के अन्तर्गत एक तय भूमि की सीमा के भीतर प्रदेश सरकार द्वारा निजी भूमि क्रय करने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी जाएगी। राजस्व तथा उद्योग विभाग इस दिशा में शीघ्र आवश्यक दिशा–निर्देश तैयार करेंगे। इसी प्रकार उद्योग विभाग/राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक ईकाई स्थापित करने के लिए भूमि आबंटन हेतु **HP Tenancy and Land Reforms Act** की धारा 118 के अन्तर्गत उद्योग विभाग अधिकृत होगा।

एकल खिड़की समिति के अनुमोदन को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत लोड की स्वीकृति भी समझा जाएगा। हम नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत उद्योगों के लिए एफ.ए.आर. **(Floor Area Ratio)** को बढ़ाने का भी प्रस्ताव करते हैं।

82. उद्योगों के प्रतिनिधियों ने नए उद्योगों के लिए बिजली शुल्क में कटौती तथा अतिरिक्त रियायतें प्रदान करने का अनुरोध किया है। मैंने उनके अनुरोध पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि चिहिन्त उच्च क्षमता श्रेणी उपभोक्ता **(EHT)** के द्वारा देय बिजली शुल्क को 17 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा। इसी प्रकार वर्तमान मध्यम तथा बड़े उद्योगों के वर्तमान बिजली शुल्क क्रमशः 15 प्रतिशत व 17 प्रतिशत को घटाकर 13 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी नए मध्यम तथा बड़े उद्योग को पहले 5 वर्षों तक प्रस्तावित 13 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत बिजली शुल्क देना होगा। इसी प्रकार स्थापित लघु उद्योग से बिजली शुल्क की वर्तमान दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत तथा किसी नए लघु उद्योग से पहले 5 वर्ष तक 2 प्रतिशत बिजली शुल्क लिए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता है कि **EHT** श्रेणी सहित 300 से अधिक हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले नए उद्योगों से पहले 5 वर्षों तक 2 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क वसूला जाएगा।

83. मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश में स्थापित होने वाले नए उद्योगों से सेल डीड तथा लीज़ डीड पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क का केवल 50 प्रतिशत ही वसूला जाएगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि नए उद्योगों के लिए भूमि उपयोग के स्थानान्तरण के शुल्क की वर्तमान दर को 50 प्रतिशत कम कर दिया जाएगा।

84. प्रदेश सरकार खनिज सम्पदा के वैज्ञानिक तथा सतत् दोहन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने पहले ही खनिज नीति–2013 अधिसूचित कर दी है। मैं घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में निर्माण सामग्री की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा रोज़गार के अवसरों के सृजन के लिए अगले वित्त वर्ष में सभी सम्भावित खनिज स्थानों की नीलामी पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

85. हमारे पहाड़ी राज्य में परिवहन का एक मात्र माध्यम सड़क परिवहन है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम राज्य के दूर–दराज के क्षेत्रों तक यात्रियों को पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ–साथ राज्य की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों के बेड़े, जो कि अब पुराना और नकारा होता जा रहा है, के उन्नयन हेतु प्रभावी पग उठाने में असफल रही। मेरी सरकार ने इस दिशा में पूर्व क्रियात्मक पग उठाये हैं। सरकार पुरानी बसों के बेड़े को बदलने के लिए 500 बसों की खरीद हेतु हुडको से ₹85 करोड़ का ऋण लेने हेतु गारंटी प्रदान करेगी। मुझे मान्य सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन **(JNNURM)** के अन्तर्गत 800 बसों तथा सम्बद्ध सुविधाओं के लिए हमारे प्रदेश को ₹298 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

86. बसों के आगमन पर निगरानी रखने के लिए बसों में जी.पी.एस. प्रणाली स्थापित की जाएगी। सभी बस अड्डों में यात्री सूचना प्रदर्शन पटल लगाए जाऐंगे। प्रदेश के सभी बस अड्डों में सर्वश्रेठ सुविधाएं उपलब्ध करवाने का हमारा लक्ष्य है। हिमाचल प्रदेश बस–अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण ने बस अड्डों के निर्माण हेतु, हमीरपुर, परवाणु, ऊना, मनाली, बद्दी, ढ़ली, लक्कड़ बाजार शिमला, सुन्नी, कुल्लु, नूरपुर, नालागढ़, चम्बा तथा मणिकर्ण में भूमि का चयन कर लिया है। प्राधिकरण इन बस अड्डों को सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी में चरणबद्ध तरीके से विकसित करेगा। मैं, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को सुदृढ़ करने लिए वर्ष 2014–15 में अनुदान तथा इक्विटी के रूप में ₹175 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

87. अध्यक्ष महोदय, सड़कें हमारे प्रदेश की जीवनरेखा हैं। राज्य में वर्तमान में 33,325 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें हैं। कुल 3,243 पंचायतों में से 3,027 पंचायतें वाहन योग्य सड़कों से जुड़ चुकी हैं तथा शेष 216 पंचायतों

को जोड़ने हेतु प्रयास जारी हैं। बची हुई 216 पंचायतों में से 179 पंचायतों में कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 3,016 पात्र बस्तियों को जोड़ दिया गया है तथा 10,064 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया है। शेष 596 स्वीकृत बस्तियों को जोड़ने के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् हिमाचल प्रदेश को विश्व बैंक के सहयोग से ग्रामीण सड़क परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत ₹516 करोड़ की परियोजना स्वीकृतियां प्राप्त हुईं हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्तमान सड़कों को पक्का करने एवं तारकोल बिछाने तथा नई बस्तियों को जोड़ने पर बल दिया जाएगा, जिसके लिए मैंने वर्ष 2014–15 में भारत सरकार से ₹300 करोड़ की स्वीकृतियां प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

88. दूरियों को कम करने के लिए मेरी सरकार राज्य में सुरगों के विकास की इच्छुक है। हमने निर्माण, संचालन तथा हस्तान्तरण **(BOT)** के आधार पर निजी क्षेत्र से बंगाणा–धनेटा सुरंग के निर्माण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान की है। हम भूब्बूजोत–कुल्लु तथा होली–उतराला सुरंगों के लिए परामर्शदाताओं से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चैनी दर्रे के नीचे से तीसा–किलाड़ तथा चामुण्ड़ा–होली सुरंगों की पूर्व व्यावहारिकता रिपोर्ट का कार्य सतलुज जल विद्युत निगम, शिमला को सौंपा गया है।

89. विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राज्य सड़क परियोजना के आवंटन को संशोधित कर ₹1,800 करोड़ कर दिया गया है। 10 सड़क उन्नयन परियोजनाओं में से 3 को पूर्ण कर लिया गया है तथा 3 परियोजनाएं जून, 2014 तक पूर्ण हो जाएंगी। ठियोग–हाटकोटी–रोहडू तथा सरकाघाट–

घुमारवीं सड़क के कार्य को पुनः आवंटित किया गया है। प्रत्येक ज़ोन में पायलट आधार पर प्रगति पर आधारित ठेके देने पर बल दिया जा रहा है। विश्व बैंक की सहायता से सड़क दुर्घटना डाटा प्रबन्धन प्रणाली हेतु परामर्शक के बारे में भी मामला उठाया गया है।

90. मेरी सरकार राष्ट्रीय उच्च मार्गों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस समय राज्य में 1,553 किलोमीटर की लम्बाई के 12 राष्ट्रीय उच्च मार्ग हैं। 1,157 किलोमीटर की लम्बाई वाले 9 सड़कों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करवाने के बारे में मामला भारत सरकार से उठाया गया है। सभी जिला मुख्यालयों को समीप के किसी राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ जोड़ने की केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप चम्बा, कांगड़ा, ऊना व किन्नौर जिले मुख्य रूप से लाभान्वित होंगे। भारत सरकार ने प्रदेश को वर्ष 2013–14 में मूल कार्यों के लिए ₹233 करोड़ तथा समय–समय पर नवीनीकरण के लिए ₹160 करोड़ अनुमोदित किए हैं।

भारत के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा हिमाचल प्रदेश में 4 लेन की दो प्रमुख परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। ₹1,818 करोड़ की कीरतपुर–नेर चौक परियोजना का कार्य नवम्बर, 2013 से आरम्भ हो गया है। परवाणु–शिमला उच्च मार्ग की 4 लेन मार्ग परियोजना पर ₹2,500 करोड़ व्यय होने का अनुमान है। इसके लिए वन विभाग की स्वीकृति और भू–अधिग्रहण प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।

91. हमने वर्ष 2014–15 में 450 किलोमीटर मोटर योग्य, 40 किलोमीटर जीप योग्य सड़कों व 30 पुलों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2,000 किलोमीटर लम्बाई की वर्तमान सड़कों के समय–समय पर नवीकरण का लक्ष्य भी रखा गया है तथा 550 किलोमीटर लम्बाई की नई सड़कों को पक्का करने का कार्य भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014–15 में

406 भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 600 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर जल–निकासी का कार्य भी किया जाएगा। मेरी सरकार ने प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना में तारकोल के मूल्यों में वृद्धि की स्वीकृति दी है तथा नई खनन नीति के तहत् निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाने का भी ध्यान रखा है। मैं वर्ष 2014–15 में लोक निर्माण विभाग के लिए ₹2,384 करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखता हूँ।

92. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार रेल लाईनों का कार्य शीघ्रता से करवाने के बारे में प्रयासरत है। कुछ ही समय पहले, मैंने नई दिल्ली में माननीय केन्द्रीय रेल मन्त्री से बैठक की थी तथा इस बैठक में प्रदेश में रेल परियोजनाओं से सम्बन्धित समस्त मुद्दों का समाधान निकाला गया। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि रेल मंत्रालय, बद्दी को किसी भी सम्भावित रेल प्वाईंट से जोड़ने तथा इस रेल लाईन पर शीघ्र कार्य करने के लिए राज़ी हो गया है। इस योजना का 50 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। भानुपल्ली–बिलासपुर–बेरी रेल लाईन से सम्बन्धित लम्बित मामलों को भी सुलझा लिया गया है तथा रेलवे अधिकारियों ने इस रेल लाईन के कार्य को पुनः आरम्भ करने की सहमति दे दी है। इसके अतिरिक्त नंगल–तलवाडा ब्रॉडगेज रेल लाईन के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए भी रेल मंत्रालय ने ₹27 करोड़ का अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाया है।

93. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्लीन टैक्नौलोजी फण्ड के अन्तर्गत हरित एवं सतत् विकास के लिए भारत सरकार के माध्यम से, विश्व बैंक को 100 मिलियन यू.एस. डालर विकास निधि ऋण (चरण–2) प्राप्त करने के लिए मामला उठाया है। हाल ही में विश्व बैंक के दल ने शिमला का दौरा किया तथा माना कि राज्य सरकार ने ऋण पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण कर ली हैं। इसलिए हमें इस ऋण के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है। हम भारत सरकार के आभारी हैं कि मिलने वाले इस ऋण को, हमारे प्रदेश को

90 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाएगा।

94. राज्य सरकार ने 40 लाख से अधिक का वार्षिक कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यापारियों को ई–विवरणियां, ई–कर भुगतान, ई–घोषणा तथा विधिक प्रपत्रों को ऑनलाइन जारी करने की सुविधाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं। अब मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1 जुलाई, 2014 से ये ई–सेवाएं राज्य के सभी पंजीकृत व्यापारियों को प्रदान की जाएंगी। सभी व्यापारी अपने व्यावसायिक परिसरों या घरों से ही हर समय, यहां तक कि अवकाश में भी, इन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार सभी व्यापारियों को आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय जाने से राहत मिलेगी। विभाग द्वारा राज्य भर में व्यापारियों के मार्गदर्शन व शिक्षण हेतु कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी।

95. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि कर भुगतान हेतु व्यापारियों को चालान पास करवाने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। वे सीधे बैंकों में भुगतान के लिए जा सकेंगे जिससे उनके समय की बचत होगी। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि वैट **(VAT)** रिफण्ड की प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाया जाएगा।

96. वस्तुओं की निर्विघ्न आवाजाही तथा नाकों पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से, मुझे यह घोषणा करने में प्रसन्नता हो रही है कि 1 मार्च, 2014 से सामान की पूर्ण ई–घोषणा करने वाले ट्रकों को प्रदेश से बाहर जाते समय अनिवार्य रूप से नाकों पर नहीं रूकना होगा। व्यापारियों को और सुविधा प्रदान करने हेतु मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि ई–सेवाओं के साथ–साथ आबकारी एवं कराधान विभाग मोबाईल के माध्यम से सामान की घोषणा का विकल्प भी उपलब्ध करवाएगा।

97. टोल टैक्स को वार्षिक आधार पर नीलाम करने की प्रथा के कारण, आधुनिक टोल टैक्स अधोसंरचना की स्थापना में तथा नागरिकों को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रियायती पास प्राप्त करने, विशेषकर बदलाव के पहले कुछ महीनों, में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं यह प्रस्तावित करता हूँ कि टोल सेवाओं को 3 साल की अवधि के लिए नीलाम किया जाएगा ताकि आबंटी, आधुनिक टोल अधोसंरचना स्थापित कर सकें तथा समय पर पास जारी हो सकें।

98. अध्यक्ष महोदय, राज्य में पर्यावरण तथा वातावरण को क्षति पहुँचाए बिना चिरस्थाई पर्यटन को बढ़ावा देना मेरी सरकार का लक्ष्य है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित स्थाई पर्यटन नीति, 2013 का निर्धारण किया गया है। पर्यटन क्षमताएं तलाशने पर बल देते हुए, धर्मशाला (कांगड़ा घाटी) पर्यटन क्रियान्वयन योजना बनाई गई है। वैसी ही स्थाई पर्यटन कार्य योजना किन्नौर तथा लाहौल–स्पीति के लिए भी बनाई जाएगी।

99. राज्य में उच्च श्रेणी के पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए गग्गल तथा कुल्लु हवाई अड्डों को पुनः विमान सुविधा से जोड़ दिया गया है तथा शिमला हवाई अड्डे को वायु मार्ग से जोड़ने के प्रयास जारी हैं। हम कण्डाघाट के समीप हरित हवाई पट्टी को विकसित करने के प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। हम मण्डी जिला में भी हवाई पट्टी निर्माण के लिए सर्वेक्षण करवाएंगे। राज्य सरकार ने नागरिक विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहले ही एवीयेशन टरवाईन फॅयूल पर वैट की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है ताकि नागरिक विमानन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके।

100. मेरी सरकार चिन्हित स्थानों पर रज्जु मार्ग परियोजनाएं आरम्भ करने पर बल देगी। कांगड़ा ज़िले में हिमानी–चामुण्डा तथा शिमला शहर में टूटीकण्ड़ी से लिफ्ट मालरोड तक रज्जु मार्ग विकसित करने के लिये तकनीकी–आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन आरम्भ करवाया गया है जिसके अगले कुछ माह में पूर्ण होने की सम्भावना है। धर्मशाला से त्रियुंड, शाहतलाई से दियोटसिद्ध और टोबा से श्री नयना देवीजी रज्जु मार्गों के लिए परामर्शदाता चयनित करने हेतु **Expression of Interest** मंगवाए जाएंगे।

101. हमारी सरकार भावी उद्यमियों को नए होटल स्थापित करने व अन्य पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखती है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि प्रदेश में स्थापित पर्यटन क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में, नए होटलों के निर्माण पर **HP Tax on Luxuries (Hotel and Lodging House) Act 1979** के अन्तर्गत, उनके कार्यशील होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक, विलास कर देने में छूट होगी।

102. पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों के किनारे व्यावसायिक परिसरों में साफ–सुथरे शौचालय, शुद्ध पेयजल, बैठने के प्रबन्ध इत्यादि जन सुविधाएं सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत विकसित की जाएंगी। इसके लिए राजस्व व पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से उपयुक्त स्थलों को चिन्हित किया जाएगा।

103. शिक्षा मानव विकास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यह तथ्य इससे ज्ञात हो जाता है कि प्रदेश की साक्षरता दर जो वर्ष 1971 में 31. 71 प्रतिशत थी अब 82.80 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गई है।

हालांकि हमारे प्रदेश में बच्चों की स्कूलों में प्रवेश दर का स्तर देश में उच्चतम है, फिर भी बच्चों में ज्ञानार्जन स्तर में कमी अभी भी चिन्ता का विषय है। बच्चों के ज्ञानार्जन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के तत्वाधान में पांचवी व आठवी कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं स्कूल स्तर पर लिए जाने का निर्णय लिया है। हम अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी बल देंगे क्योंकि हमारा विश्वास है कि अध्यापकों का कौशल उन्ययन शिक्षा की गुणवत्ता के लिए निर्णायक है।

अध्यक्ष महोदय, ठीक ही कहा गया है किः

"A doctor's mistake is buried in grave;
An engineer's mistake is buried in bricks:
But a teacher's mistake is reflected in the whole nation"

104. हमने पिछली सरकार के द्वारा हटाये गए पी.टी.ए. अध्यापकों को पुनः नियुक्त ही नहीं किया बल्कि उनके अनुदान में वृद्धि भी की है। मेरी सरकार पी.टी.ए., पी.ए.टी. तथा पैरा अध्यापकों से सम्बन्धित लम्बित मुद्दों के समाधान के लिए कृतसंकल्प है।

105. मानव समाज के सर्वांगीण विकास तथा युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर बढ़ाने के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए, मेरी सरकार माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा की उपलब्धता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के अभियान को जारी रखेगी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये मैंने प्रदेश के छात्रों के हित में बड़ी संख्या में विद्यालयों को स्तरोन्नत किया है।

106. हमारे स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के विस्तार हेतु, वर्ष 2014–15 में 618 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 848 उच्च विद्यालय तथा 5 स्मार्ट स्कूलों को आई.सी.टी.**(ICT)** स्कूल योजना (चरण–2) के दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ–साथ हमारे विद्यार्थियों को उच्च ज्ञानार्जन स्तर हासिल करने हेतु प्रेरित करने के लिए, मैं घोषणा करता हूँ कि वर्ष 2014–15 में 'राजीव गांधी डिजिटल योजना' के अन्तर्गत 10वीं तथा 12वीं के 7,500 विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर नैट बुक्स **(Lap Tops)** प्रदान किए जाएंगे।

107. National Vocational Education Qualification Framework आरम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत 100 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 5 व्यवसायों जैसे आई.टी.ई.एस. **(Information Technology Enabled Services)** सुरक्षा, खुदरा, वाहन तथा हैल्थ केयर के विषय चुनने का विकल्प उपलब्ध है। इस योजना के अन्तर्गत 9 हजार विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। मैं **National Vocational Education Qualification Framework** के अन्तर्गत 100 अन्य स्कूलों में विद्यार्थियों की रोज़गार पाने की क्षमताओं को बढ़ाने हेतु 3 नये पाठ्यक्रम जैसे कृषि, आतिथ्य सत्कार व पर्यटन तथा इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर चलाने का प्रस्ताव करता हूँ। शैक्षणिक सत्र 2014–15 में इन स्कूलों में 200 व्यवसायिक शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।

108. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने हाल ही में 9 नए महाविद्यालय खोले हैं। पिछली सरकार ने बिना किसी भवन तथा अधोसंरचना के विभिन्न संस्थान खोले थे। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हमने इन भवनों के निर्माण हेतु ₹5 करोड़ प्रति महाविद्यालय की दर से ₹45 करोड़ की कुल राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 31 जनवरी, 2014

को खुडिंयां, निहरी तथा चायल कोटी में 3 नए डिग्री महाविद्यालय खोलने का निर्णय भी किया है, जिनके अधोसंरचना निर्माण हेतु राशि समान पद्धति पर दी जाएगी।

109. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा वारे सजगता **(Exposure)** की कमी के कारण आज के प्रतियोगी वातावरण में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। हम अपने विद्यार्थियों को स्कूल स्तर से आगे पर्याप्त सजगता **(Exposure)** प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तरों पर अभिरूचि परीक्षाएं **(Aptitude Test)** आरम्भ करना प्रस्तावित करते हैं।

110. महोदय, केन्द्र में यू.पी.ए. सरकार ने उच्चतर शिक्षा में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान **(RUSA)** लागू किया है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के निर्देशों के दृष्टिगत हमने राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् का गठन किया है। हम इस योजना के अन्तर्गत ₹956 करोड़ की एक परियोजना भारत सरकार को धन राशि प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं वित्तीय वर्ष 2014–15 में शिक्षा के लिए ₹4,282 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

111. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार रोज़गार बढ़ाने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। हमने शैक्षणिक सत्र 2013–14 में बचे हुए 5 जिलों, सिरमौर, कुल्लु, बिलासपुर, किन्नौर तथा लाहौल–स्पीति में राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों को कार्यशील बनाया है। शिमला ज़िले के दाड़गी, जलोग, सुन्नी, खड़ान (ननखड़ी), बिलासुपर में श्री नयनादेवी जी, मण्डी में डैहर तथा ऊना में हरोली–पुबोवाल में 7 नई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी शैक्षणिक सत्र 2013–14 से कार्यशील बनाये गए हैं। मुझे यह सूचित करते हुए भी प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने 5 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का अनुमोदन प्रदान किया है जिससे प्रत्येक

विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुनिश्चित होगा।

112. राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान **(RUSA)** के अन्तर्गत जिला कांगड़ा में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि यह कॉलेज नगरोटा–बगवां में खोला जाएगा।

113. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार कौशल विकास को बहुत महत्व प्रदान करती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे देश की कुशल मानव शक्ति की जरूरतों को तभी पूरा किया जा सकता है जब हमारे युवकों ने गुणवत्तायुक्त व प्रमाणयुक्त कौशल प्राप्त किया हो। हमने कौशल विकास गतिविधियों के नीति निर्देशन, समन्वय तथा क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर कौशल विकास समिति की स्थापना की है। सभी विभाग जो कौशल विकास में लगे हुए हैं, को एक निश्चित लक्ष्य के साथ कौशल विकास समिति के अन्तर्गत लाया जाएगा। हम आगामी वित्तीय वर्ष में 80,000 युवाओं के कौशल विकास का प्रस्ताव करते हैं। हम युवकों को गुणात्मक कौशल प्रदान करने वाले कौशल प्रदायकों को भी सूचीबद्ध करेंगे। हम कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त युवकों का बेवसाईट आधारित पूर्ण डाटा तैयार करेंगे ताकि भविष्य में उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध होने वाले रोज़गार पर नज़र रखी जा सके।

114. सरकार का कौशल विकास पहल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदेश के पढ़े–लिखे बेरोज़गार युवकों के लिए कौशल विकास भत्ता योजना है, जिसकी मैंने गत वर्ष के बजट अभिभाषण में घोषणा की थी। इस योजना का लक्ष्य रोज़गार में बढ़ोतरी हेतु ₹1000 प्रतिमाह तथा विकलांगों को ₹1500 प्रतिमाह भत्ता प्रदान करने का था। इस योजना के दायरे में अधिकतम युवाओं को लाने के लिए इस योजना को महत्वपूर्ण रूप से उदार बनाया

गया है। अब 8वीं पास हिमाचली युवक, जो 16 वर्ष की आयु से अधिक तथा 36 वर्ष की आयु से कम हों इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। 2 वर्षों से रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजमिस्त्री, काष्ठकार, लोहार तथा पलम्बर इत्यादि के प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को भी समाप्त कर दिया गया है।

115. National Skill Development Corporation (NSDC) तथा **Sector Skill Councils** द्वारा प्रमाणित **Standard Training Assessment and Reward Scheme** के क्रियान्वयन के अतिरिक्त हमने मोटरवाहन, खुदरा, आतिथ्य तथा **IT/ITES** के क्षेत्रों में 4 उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना के लिए **NSDC** से सम्पर्क किया है ताकि प्रदेश के आई.टी.आई और पॉलीटैक्निक संस्थानों का उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ाया जा सके।

इन उत्कृष्ट केन्द्रों में आधुनिकतम प्रयोगशाला सुविधाएं होंगी। यह केन्द्र सुनिश्चित करेंगे कि हमारे युवकों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह उद्योगों की मांग के अनुरूप हो। हम भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों के कौशल उन्नयन के लिए उपकर **(Cess)** राशि का 20 प्रतिशत कौशल गतिविधियों के लिए आबंटित करने का प्रस्ताव करते हैं। यह बड़ी संख्या में इस वर्ग के बच्चों व आश्रितों को बेहतर नौकरियां प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। मैं वर्ष 2014–15 में राज्य में कौशल विकास हेतु ₹100 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय,

“मेरे प्रदेश में हुनर के लिए धन बरसेगा,
हुनरमन्द न अब कोई रोज़गार को तरसेगा।”

116. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश में मंदिरों की समृद्ध विरासत है। बहुत से मंदिरों की अपनी भू–सम्पदा थी और इससे प्राप्त आय रख–रखाव तथा दैनिक पूजा अर्चना में उपयोग की जाती थी। भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप बहुत से मंदिरों की भू–सम्पदा समाप्त होने के कारण अब उन मंदिरों का रख–रखाव कठिन हो गया है। मैं ऐसे मंदिरों के रख–रखाव तथा पूजा अर्चना के लिए आवर्ती निधि **(Revolving Fund)** सृजित करने के लिए ₹5 करोड़ की राशि का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ। यदि आवश्यक हुआ तो इसमें यथोचित वृद्धि की जाएगी।

117. हिमाचल प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा प्रोत्साहन के लिए राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के लिए कार्यक्रमों की सारणी को अन्तिम रूप दिया गया है। पहली बार शिमला शहर को वर्ष भर रंग, संगीत, नृत्य, नाटक, महक तथा जोश से सराबोर करने हेतु 'शिमला सैलिब्रेटस' थीम के नाम से रंगारंग कार्यक्रमों की सारणी तैयार की गई है। गेयटी थियेटर परिसर को गुणवत्ता वाले सांस्कृतिक एवं मंचीय कार्यक्रमों के एक प्रतिष्ठित केन्द्र के रूप में उभारना भी इसका एक उद्देश्य है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस 140 वर्ष पुराने गौथिक शैली के ढांचे का मेरी सरकार की पहल से ही जीर्णोद्धार किया गया है।

118. मेरी सरकार शिमला शहर के बीचों–बीच पर्यटकों एवं आम जनता के लिए एक संग्राहलय तथा मनोरंजन पार्क बनाने का प्रस्ताव रखती है। **Bantony Castle** को अधिगृहित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी

है। प्रदेश की इतिहास व विरासत से जुड़ी विभिन्न कलाकृतियों तथा प्रदर्शों **(exhibits)** को इस संग्राहलय में प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें शिमला के भूतकाल व वर्तमान काल दोनों को प्रदर्शित किया जाएगा।

119. हिमाचल भाषा, कला व संस्कृति अकादमी प्रदेश के लोक साहित्य, लोक गीत, लोक संगीत व अन्य सांस्कृतिक पहलुओं के अनुसंधान पर पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुस्तकें खरीदने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार इस वित्तीय सहायता को राज्य स्तर पर पुरस्कृत लेखकों को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹25,000 तथा अन्य लेखकों के लिए ₹6,000 से बढ़ाकर ₹15,000 करने का प्रस्ताव रखती है।

120. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार राज्य में युवा सेवाओं तथा खेलों का प्रोत्साहन करने हेतु कृतसंकल्प है। राज्य में युवा सेवाओं के सशक्तिकरण हेतु नोडल युवा क्लबों **(Nodal Youth Clubs)** का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। मैं खेल उपकरण तथा सांस्कृतिक उपकरणों की प्राप्ति हेतु उनके वार्षिक अनुदान को अगले वित्तीय वर्ष से ₹10,000 से बढ़ाकर ₹18,000 करने का प्रस्ताव करता हूँ। अपने उभरते खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि आगामी वित्तीय वर्ष में अनुशिक्षकों **(Coaches)** के 50 पद सृजित कर भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम आगामी वित्तीय वर्ष में ग्राऊंडस–मैन के 13 नए पद सृजित करेंगे और भरेंगे।

121. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं महत्वपूर्ण निर्णयों के प्रचार में प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा हमारी सरकार उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य, ज़िला तथा उप–मण्डल स्तर पर कार्यरत सभी मान्यता प्राप्त संवाद्दाताओं को 1 अप्रैल,

2014 से प्रदेश में प्रवेश के समय वाहनों पर टोल शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। मैं प्रदेश में प्रेस क्लबों के निर्माण के लिए ₹1 करोड़ प्रदान करने की घोषणा करता हूँ।

122. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार प्रदेश के लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। हम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सस्ती जैनरिक दवाईयां उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने लगभग 500 जैनरिक दवाईयों की आवश्यक सूची तैयार की है। हमने रोगियों के लिए केवल जैनरिक दवाईयां लिखने के निर्देश दिए हैं। हम वर्तमान में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को दवाईयों की आपूर्ति की प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव रखते हैं। हम राज्य में जैनरिक दवाईयों के भण्डारण के लिए गोदाम स्थापित करेंगे।

123. हम प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सचल चिकित्सा इकाईयां स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं। इन सचल चिकित्सा इकाईयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ–साथ अल्ट्रासांऊड की सुविधा तथा सभी जीवन रक्षक दवाईयां उपलब्ध होंगी। ये सचल चिकित्सा इकाईयां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित समय पर शिविर आयोजित करेंगी। हम टैली मैडिसिन सुविधाएं विकसित करने के लिए भी प्रयासरत हैं।

124. हम इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला (आईजीएमसी) में केन्द्रीकृत आक्सीजन संयंत्र स्थापित करेंगे। हम सार्वजनिक निजी सहभागिता के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित संस्थानों में एम.आर.आई सुविधा स्थापित करेंगे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण हमारे राज्य में दुर्घटनाओं तथा इस कारण होने वाले ट्रॉमा के मामले काफी अधिक है। हम आईजीएमसी में आधुनिक ट्रॉमा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं। वर्ष

2014–15 में नूरपुर, रामपुर तथा कुल्लू में ट्रॉमा केन्द्र स्थापित करने का भी हमारा प्रस्ताव है।

125. अध्यक्ष महोदय, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण घटक है। इस दिशा में हम कमला नेहरू अस्पताल, शिमला को स्तरोन्नत कर यहां इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय के प्रसूति विज्ञान तथा स्त्री रोग विज्ञान विभागों, जो वर्तमान में यहीं क्रियान्वित किये जा रहे हैं, को शामिल कर इसे पूर्ण मातृ–शिशु अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव करते हैं। यह अस्पताल मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी **Tertiary** सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। वर्तमान में इन सेवाओं के लिए लोगों को आई.जी.एम.सी जाना पड़ता है। इससे आई.जी.एम. सी. में भीड़–भाड़ कम करने में सहायता मिलेगी। ₹16.50 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तरों वाला नया भवन खण्ड **(block)** भी निर्मित किया जा रहा है। इसी प्रकार मण्ड़ी में ₹5 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत से 100 बिस्तरों वाला समर्पित मातृ एवं शिशु अस्पताल निर्मित किया जाएगा।

126. आई.जी.एम.सी शिमला में ₹56 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ओ.पी.डी. खण्ड तथा ₹8 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रशासनिक खण्ड का निर्माण किया जा रहा है। डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस. वाई.–**II**) के अन्तर्गत ₹150 करोड़ व्यय कर सुपर स्पैशियलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया है। आई.जी.एम.सी. में भीड़ के दवाब को कम करने के उद्देश्य से घनाहट्टी के समीप ₹150 करोड़ की अनुमानित लागत से नया परिसर निर्मित किया जाएगा। इसमें दन्त चिकित्सा तथा नर्सिंग महाविद्यालय होंगे। इसके लिए 60 बीघा भूमि उपलब्ध करवा दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचना की असाधारण पहुँच है। अब समय आ गया है कि उन नॉन फार्मास्यूटिकल इन्टरवैंशनज़ की ओर ध्यान दिया जाए, जो प्रदेश में स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों पर असर डालते हैं। मैं इस दिशा में दीर्घकालिक आधारभूत पहुँच बनाने के लिए विशेषज्ञ समूह स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

127. गरीब लोगों को गम्भीर बीमारी के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हुई है। मैं सफाई कर्मचारियों, कूड़ा बीनने वालों, ऑटोरिक्शा चालकों तथा टैक्सी चालकों इत्यादि को इस योजना में शामिल कर इसके दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूँ। इस पर ₹2.50 करोड़ अतिरिक्त रूप से व्यय किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निजी निवेश को आमंत्रित करने के उद्देश्य से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जो निजी निवेशक प्रदेश के चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में निवेश करने के इच्छुक होंगे, को एक रुपये की टोकन लीज़ राशि के आधार पर सरकारी भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।
128. नशा समाज के लिए बड़ा खतरा है। नशे की आदत को निरूत्साहित करने के उद्देश्य से हम प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में वृहद् जागरूकता अभियान चलाएंगे।

मैं वित्त वर्ष 2014–15 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹1,050 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

129. अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद विभाग अपनी वृहद् संस्थागत अधोसंरचना के माध्यम से प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाधित सेवाएं उपलब्ध करवाने के

उद्देश्य से आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 100 खाली पड़े पद भरने को स्वीकृति दी गई है।

जोगिन्द्रनगर स्थित दवा परीक्षण प्रयोगशाला तथा ज़िला मण्डी के जोगिन्द्रनगर, सिरमौर ज़िला के माजरा और कांगड़ा ज़िला के पपरोला में स्थित तीन राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसियों को आधुनिक मशीनरी तथा तकनीक उपलब्ध करवा कर सुदृढ़ किया जाएगा। मैं वर्ष 2014–15 में आयुर्वेद के लिए ₹203 करोड़ के बजट आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

130. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की शहरी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 10.04 है। हम छोटे तथा मध्यम स्तरीय शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अन्तर्गत ₹183 करोड़ की अनुमानित लागत से सुजानपुर, रामपुर, नगरोटा, कांगड़ा, मण्डी, कुल्लू और मनाली में जलापूर्ति योजनाओं के सम्बर्द्धन का प्रस्ताव रखते हैं। नाहन, कांगड़ा, मण्डी और ऊना में केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय की वधशालाएं आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक स्थान पर ₹15–15 करोड़ व्यय कर चार आधुनिक वधशालाएं स्थापित की जाएंगी। छोटे तथा मध्यम स्तरीय शहरों के लिए शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत ₹90 करोड़ की अनुमानित लागत से बद्दी तथा नालागढ़ शहरों में मल निकासी योजनाएं निर्मित की जाएंगी।

131. मेरी सरकार प्रदेश के बड़े शहरों में यातायात के दबाव और पार्किंग की समस्याओं से परिचित है। छोटा शिमला, संजौली और शिमला स्थित लिफ्ट के समीप लगभग 1400 कारों की पार्किंग सुविधा के लिए कार पार्किंग परिसर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। विकासनगर में लगभग 175 वाहनों की पार्किंग के लिए एक और कार पार्किंग निर्मित की जाएगी। इसका निर्माण

कार्य वर्ष 2014–15 में आरम्भ होगा। इसी प्रकार पालमपुर तथा मण्डी में कार पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसरों का निर्माण कार्य वर्ष 2014–15 में आरम्भ होगा। मैकलोडगंज, धर्मशाला, हमीरपुर, रोहडू और आई.जी.एम.सी. तथा शिमला शहर के पुराने बैरियर के समीप कार पार्किंग एवं व्यावसायिक परिसरों का निर्माण कार्य वर्ष 2014–15 में आरम्भ होगा। शिमला तथा धर्मशाला शहरों के निवासियों की सुविधा के लिए हम इन शहरों में सार्वजनिक निजी सहभागिता के अन्तर्गत मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की संभावनाओं का पता लगाएंगे।

132. हम शहर आजीविका केन्द्र सृजित कर नौकरियों की तलाश में अपने शहरों की श्रम शक्ति और सेवाओं की तलाश में अपने शहरों के निवासियों को एक मंच पर लाने के इच्छुक हैं। दक्ष श्रम शक्ति इन केन्द्रों में अपना पंजीकरण कर सकेगी। सेवाओं के इच्छुक नागरिक इस केन्द्र में दूरभाष कर कोई भी इच्छित सेवा प्राप्त कर सकेंगे। यह इलैक्ट्रिशियनों, पलम्बर, बढ़ई और सफाई कर्मियों इत्यादि को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाएगा और साथ ही शहर के नागरिकों की सेवाओं तक पहुंच बनाने में सुविधा प्रदान करेगा। हम अगले वित्त वर्ष में शिमला में शहर आजीविका केन्द्र आरम्भ करने का प्रस्ताव करते हैं।

133. शहरी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों के विविध उत्तरदायित्वों के दृष्टिगत मैं नगर पंचायत अध्यक्ष के मानदेय को ₹1,800 से बढ़ाकर ₹2,500, उपाध्यक्ष के मानदेय को ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,000 और सदस्यों के मानदेय को ₹750 से बढ़ाकर ₹1,000 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। नगर परिषद् के अध्यक्ष का मानदेय ₹2,400 से बढ़ाकर ₹3,000, उपाध्यक्ष का ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 और सदस्यों का ₹900 से बढ़ाकर ₹1,200 प्रतिमाह किया जाएगा। नगर निगम शिमला के लिए मैं महापौर के मानदेय को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,500, उप–महापौर के मानदेय को ₹3,500 से

बढ़ाकर ₹4,500 और पार्षदों के मानदेय को ₹2,400 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ।

134. अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य के दीर्घकालीन विकास के लिए शहरों का योजनाबद्ध एवं नियमित विकास महत्वपूर्ण है। हम समूचे राज्य के लिए क्षेत्रीय मास्टर योजनाएं और सार्थक वृद्धि क्षमता वाले क्षेत्रों के विकास के लिए मास्टर योजना का प्रस्ताव करते हैं। इसी समय पर हम योजना/विशेष क्षेत्रों के अधीन क्षेत्रों के युक्तिकरण का प्रस्ताव भी करते हैं ताकि कम विकास क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को नियमन फ्रेमवर्क से बाहर किया जा सके। हम अनुमति प्रदान करने के लिए नियमों तथा प्रक्रियों के सरलीकरण के लिए साधारण प्रक्रियाओं और स्व–सत्यापन योजना जैसी नवीन योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव भी करते हैं। हम व्यावहारिकता के अनुसार शहरी एवं नगर नियोजन के अन्तर्गत नियमन कार्य को शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव भी रखते हैं।

135. हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को ऐतिहासिक दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हुए हैं। मेरी सरकार आगामी कुछ वर्षों में सार्वजनिक नीति में सहभागिता के क्षेत्र में लिंग समानता लाने और आर्थिक तथा सामाजिक अवसरों में विकल्प प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने महिलाओं से संबंधित विषयों तथा नीतियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय महिला कल्याण बोर्ड का गठन किया है। हमने हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन भी किया है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य हाल ही में नियुक्त किए गए हैं।

संशोधित एकीकृत बाल विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य शून्य से तीन वर्ष आयु वर्ग में अल्प–पोषित बच्चों की प्रतिशतता में 10 प्रतिशत की कमी लाना

और बच्चों तथा महिलाओं में एनीमिया के मामलों के वर्तमान स्तर में कम से कम 20 प्रतिशत की कमी लाना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत पोषाहार प्रदान करने के मानकों में भी उपयुक्त संशोधन किया जाएगा। वर्ष 2014–15 प्रदेश में एकीकृत बाल विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ₹130 करोड़ व्यय किए जाएंगे।

136. लोगों को महिलाओं के नाम पर सम्पत्ति स्थानान्तरित कर उनके सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश में महिलाओं के लिए स्टांप शुल्क को कम करने का निर्णय लिया है। महिलाओं के नाम भूमि स्थानांतरित करने पर अब केवल 4 प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा जबकि पुरूषों के लिए यह 6 प्रतिशत है।

हमारे समाज में लिंग भेद को निरूत्साहित करने के उद्देश्य से मेरी सरकार तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी संस्थानों में एकल कन्या के लिए दो सीटों का आरक्षण उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव करती है।

मैं वित्त वर्ष 2014–15 में महिला तथा बाल विकास विभाग के लिए ₹262 करोड़ के कुल बजट परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

137. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार समाज के असहाय तथा कमज़ोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक कल्याण एवं विकास के लिए वचनबद्ध है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के आवंटन में वर्तमान वर्ष के 24.72 प्रतिशत की तुलना में आगामी वर्ष के लिये बढ़ाकर 25.19 प्रतिशत किया गया है।

138. राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 2 लाख 92 हजार 921 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन उपलब्ध करवा रही है। वर्तमान में पैंशन

के लिए लगभग 12000 आवेदन लम्बित हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि सभी पात्र आवेदकों को पैंशन स्वीकृत कर दी जाएगी।

वर्तमान में विधवाओं, वृद्धों तथा विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन के रूप में प्रतिमाह 500 रुपये प्रदान किये जा रहे हैं। मुझे यह घोषणा करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि 1 अप्रैल, 2014 से इस पैंशन की राशि को बढ़ाकर 550 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।

1 अप्रैल, 2013 से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की पैंशन बढ़ाकर ₹1,000 प्रतिमाह की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में 80 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के लगभग एक लाख व्यक्ति हैं, जिनमें से मात्र 40 हजार ही पैंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस आयु वर्ग के व्यक्ति अत्यन्त असुरक्षित स्थिति में हैं और उनकी विशेष आवश्यकताएं हैं। हमारा मानना है कि सरकार को समाज के इस असुरक्षित वर्ग के सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर सहायता प्रदान करनी चाहिए। अतः मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों, उन व्यक्तियों को छोड़कर जो कोई भी अन्य पैंशन प्राप्त कर रहे हैं, को किसी भी आय सीमा के बगैर प्रतिमाह ₹1,000 पैंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इन अतिरिक्त उपायों के साथ हम सामाजिक सुरक्षा पैंशन के रूप में प्रतिवर्ष ₹110 करोड़ के अतिरिक्त लाभ उपलब्ध करवाएंगे।

मैं यहां कहना चाहूंगा कि

‘हरेक राह में चिराग़ जलाना है मेरा काम,
तेवर हवाओं के मैं देखा नहीं करता।’

139. वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को आवास की मुरम्मत के लिए आवास उपदान के रूप में ₹15 हजार प्रदान किए जा रहे हैं। मैं इसे बढ़ाकर ₹25 हजार करने की घोषणा करता हूँ।

140. अध्यक्ष महोदय, अक्षम व्यक्तियों को समुचित देखभाल की आवश्यकता होती है। इस समूह में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अपंगता वाले व्यक्तियों को समाज द्वारा विशेष देखभाल एवं सहयोग की दरकार है। अतः मैं उनकी पैंशन को ₹500 से बढ़ाकर ₹750 प्रतिमाह करना प्रस्तावित करता हूँ। मैं उनके विवाह अनुदान को वर्तमान में ₹15 हजार से बढ़ाकर ₹40 हजार करना भी प्रस्तावित करता हूँ। इसके अतिरिक्त विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे सभी अक्षम बच्चों को किसी आय सीमा के बगैर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मैं यह प्रस्ताव भी करता हूँ कि 70 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता वाले व्यक्तियों, जिन्हें चिकित्सा अनुशंसा के अनुसार सहवर्ती की आवश्यकता है, के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में सहवर्ती को भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी।

मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि 70 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले सभी बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 'क्रिटीकल केयर' उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सुविधा सरकारी तथा निजी विद्यालयों के सभी ऐसे बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

अक्षम व्यक्तियों को सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाएं प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यालयों में जाना पड़ता है। उनकी सुविधा के लिए मैं, धर्मशाला स्थित प्रयास भवन की तर्ज पर ज़िला स्तरीय सुविधा केन्द्रों के सृजन का प्रस्ताव करता हूँ। इन केन्द्रों में अक्षम व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाले सभी विभाग एक ही छत के नीचे सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

141. अध्यक्ष महोदय, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक मामले विभाग ने ₹7500 से लेकर ₹20 हजार तक की विभिन्न आय सीमाएं निर्धारित की हैं। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भविष्य में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए इस आय सीमा को समान रूप से बढ़ाकर ₹35 हजार प्रतिवर्ष किया जाएगा।

मैं वित्त वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक मामले विभाग के लिए ₹1325 करोड़ के कुल बजट परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

142. जनजातीय क्षेत्रों का समग्र विकास तथा जनजातीय लोगों का कल्याण सदैव मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।

मैं वर्ष 2014–15 में जनजातीय क्षेत्रों के लिये कुल ₹924 करोड़ का बजट आबंटन प्रस्तावित करता हूँ।

143. हमारी सरकार पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। वर्तमान में प्रदेश में द्वितीय विश्वयुद्ध के 285 योद्धा तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के दिवंगत 1521 योद्धाओं की पत्नियां हैं। मेरी सरकार उनकी वित्तीय सहायता को ₹750 से बढ़ाकर ₹2000 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव करती है।

144. राज्य सरकार विभिन्न वीरता पुरस्कार विजेताओं और अन्य विशिष्ट विजेताओं को उनकी निःस्वार्थ सेवाओं और आभार के रूप में वार्षिकी प्रदान कर रही है। मैं सेना पदक तथा 'मेंशन–इन–डिस्पैच' के विजेताओं की वार्षिकी को वर्तमान में ₹3 हजार से बढ़ाकर ₹5 हजार करने का प्रस्ताव

करता हूँ। इसके अतिरिक्त विशिष्ट पदक विजेताओं की वित्तीय सहायता को ₹3 हजार से बढ़ाकर ₹4 हजार करने का प्रस्ताव भी है।

मैं धर्मशाला में युद्ध स्मारक संग्रहालय की स्थापना के लिए ₹2 करोड़ के आरम्भिक आबंटन की घोषणा भी करता हूँ।

145. वर्तमान में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान राशि के रूप में ₹10 हजार और दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियों और उनकी अविवाहित पुत्रियों को ₹3500 प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। मैं दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियों और उनकी पुत्रियों की सम्मान राशि को ₹3500 से बढ़ाकर ₹5000 करने की घोषणा पहले ही कर चुका हूँ।

स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्रियों और पौत्रियों के विवाह के लिए ₹10 हजार का विवाह अनुदान प्रदान किया जा रहा है। मैंने पुत्रियों के लिए इस राशि को ₹51 हजार तथा पौत्रियों के लिए ₹21 हजार करने की घोषणा की है।

स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर उनके परिजनों को शवदाह के लिए ₹5 हजार प्रदान किए जा रहे हैं। मैंने स्वतंत्रता सेनानियों के निधन पर इस राशि को बढ़ाकर ₹15 हजार करने और दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियों के निधन पर बढ़ाकर ₹10 हजार करने की घोषणा की है।

146. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना हमारी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। वर्ष 2013–14 में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य व शांतिप्रिय रही।

मेरी सरकार महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने पहले ही निःशुल्क एसएमएस आधारित तथा ऑनलाईन शिकायत प्रणाली आरम्भ कर दी है। हम महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर रोक लगाने

और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिमला तथा धर्मशाला में दो महिला पुलिस थानों के सृजन का प्रस्ताव करते हैं।

पुलिस विभाग में कार्यरत हमारे आरक्षियों, मुख्य आरक्षियों, सहायक उप–निरीक्षक, उप–निरीक्षक तथा निरीक्षकों को राशन भत्ते के रूप में प्रतिमाह ₹150 मिलते हैं। मैं इसे बढ़ाकर ₹180 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे हजारों पुलिस कर्मी लाभान्वित होंगे।

147. आवश्यकता तथा आपातकाल में गृह रक्षक स्वयंसेवी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान में उनका मानदेय ₹225 प्रतिदिन है। मैं इसे संशोधित कर ₹260 प्रतिदिन करने की घोषणा करता हूँ। मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि कम्पनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, हवलदार तथा सैक्शन लीडर के रैंक भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जाएगी।

मैं वित्त वर्ष 2014–15 में पुलिस, गृह रक्षक तथा अग्निशमन सेवाओं के लिए ₹803 करोड़ का बजट परिव्यय प्रस्तावित करता हूं।

148. स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक है। मैं न्यायिक प्रशासन के लिए ₹161 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

149. अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं। कर्मचारियों के कल्याण को मेरी सरकार अत्याधिक महत्व देती है। मैंने अपने गत वर्ष के बजट अभिभाषण में विभिन्न विभागों में 4 हजार से अधिक पद भरने की घोषणा की थी। मुझे यह घोषणा करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि हमने

इससे अधिक पद भरे हैं। मैं वर्ष 2014–15 में 5 हजार क्रियाशील पदों को भरने की घोषणा करता हूँ।

अपने 75 हजार से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरी सरकार भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन करेगी ताकि सीमित प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से अधिक पदों के लिए चयन किया जा सके।

150. सरकारी सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों को रोज़गार प्रदान करने के लिए आय सीमा को ₹75 हजार से बढ़ाकर ₹1 लाख 25 हजार किया गया है। मेरी सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को समयबद्ध सीमा में रोज़गार प्रदान करेगी।

151. वर्तमान में दिहाड़ीदारों को ₹150 दिहाड़ी के रूप में दिए जा रहे हैं। मैं इसे बढ़ाकर ₹170 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। इसके अतिरिक्त न्यूनतम दिहाड़ी को भी ₹150 से बढ़ाकर ₹170 किया जाएगा जिसके लिए श्रम एवं रोजगार विभाग तुरन्त कार्रवाई करेगा। इससे दिहाड़ीदारों को करोड़ों रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसी प्रकार आऊटसोर्सिंग पर लिए गए कर्मचारियों के मानदेय में भी समुचित वृद्धि की जाएगी। मैं घोषणा करता हूँ कि 31 मार्च, 2014 को 7 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले सभी दिहाड़ीदारों को नियमित किया जाएगा। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिहाड़ीदारों के नियमितीकरण के लिये यदि आवश्यक हुआ तो शैक्षणिक योग्यताओं में भी छूट दी जाएगी।

152. मैं घोषणा करता हूँ कि 31–03–14 को 6 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने वाले सभी अनुबन्ध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि अनुबन्ध पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के वर्तमान 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 16 सप्ताह किया

जाएगा। इसके अतिरिक्त इन कर्मचारियों को पहले से देय आकस्मिक अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त कलैण्डर वर्ष में 5 दिन का विशेष अवकाश भी दिया जाएगा। मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि अनुबन्ध कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा।

153. मैं अंशकालिक जलवाहकों के मासिक मानदेय को ₹1,300 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव भी करता हूँ। इससे हजारों अंशकालिक जलवाहक लाभान्वित होंगे। मैं यह घोषणा भी करता हूँ कि अंशकालिक कार्यकर्ताओं को 9 वर्ष के स्थान पर 8 वर्ष के सेवाकाल के उपरान्त ही दैनिक वेतन भोगी बना दिया जाएगा।

154. आंगनवाडी कर्मियों तथा सहायकों के द्वारा किए जाने वाले विविध कार्यों के दृष्टिगत भारत सरकार के द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत उनको दिए जाने वाले मानदेय के इलावा राज्य सरकार भी इन्हें अतिरिक्त मानदेय प्रदान कर रही है। मैं उनके अतिरिक्त मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित करता हूँ। वर्ष 2014–15 से आंगनवाड़ी कर्मियों का अतिरिक्त मानदेय ₹300 से ₹450 प्रतिमाह, मिनी आंगनवाड़ी कर्मियों का अतिरिक्त मानदेय ₹250 से ₹375 प्रतिमाह तथा आंगनवाड़ी सहायकों का अतिरिक्त मानदेय ₹200 से ₹300 प्रतिमाह कर दिया जाएगा। जिससे ये हजारों कर्मी लाभान्वित होंगे।

155. विभिन्न पंचायतों में कार्यरत सिलाई अध्यापिकाएं ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास में सहायता प्रदान कर रही हैं। मैं उनके मासिक मानदेय को वर्तमान में ₹1600 से बढ़ाकर ₹2000 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ।

156. मेरी सरकार ने पैंशनरों के मामलों को सदैव अधिमान दिया है। वर्ष 2014–15 में पैंशनरों को वर्ष 2007–08 के ₹880 करोड़ की तुलना में ₹3,496 करोड़ के लाभ प्रदान किए जाएंगे। पैंशनरों को वेतन के 50 प्रतिशत की दर पर पैंशन तथा वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर परिवारिक पैंशन दी जा रही है। राज्य सरकार 65 से 80 वर्ष के आयु वर्ग के पैंशनरों को 5 प्रतिशत पैंशन भत्ता भी प्रदान कर रही है।

मैं अगले वित्त वर्ष से पैंशन भत्ते में बढ़ौतरी की घोषणा करता हूँ। 1 अप्रैल, 2014 से 65 से 70, 70 से 75 तथा 75 से 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पैंशनरों को क्रमशः 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत पैंशन भत्ता प्रदान किया जाएगा।

157. हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2014–15 से सेना पारिवारिक पैंशनरों के परिवारों को दोहरी पारिवारिक पैंशन प्रदान करने का निर्णय भी लिया है। वर्तमान में सेना कर्मियों के पारिवारिक पैंशनरों को केवल एक पारिवारिक पैंशन अर्थात या तो नागरिक या सैन्य पक्ष से, जो भी लाभदायक हो, वह पारिवारिक पैंशन प्राप्त होती है। इस घोषणा से अब सेना पैंशनरों के परिवार दोनों पैंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

158. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार सदैव कर्मचारियों की हितैषी रही है और उन्हें समय–समय पर विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते रहे हैं। इस दिशा में, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2013 से 10 प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। मंहगाई भत्ते का भुगतान मार्च, 2014 के वेतन के साथ किया जाएगा। मंहगाई भत्ते में बढ़ौतरी हिमाचल प्रदेश सरकार के पैंशनरों को भी देय होगी। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पैंशनरों को 10 प्रतिशत मंहगाई भत्ते के रूप में ₹580 करोड़ के अतिरिक्त वार्षिक लाभ मिलेंगे।

159. अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2014–15 के लिए मैक्रो **(Macro)** बजट अनुमानों तथा 2013–14 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2013–14 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा 2.20 प्रतिशत तथा वित्तीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.85 प्रतिशत होने की संभावना है। वर्ष 2014–15 के बजट अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा 3.50 प्रतिशत तथा वित्तीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.74 प्रतिशत रहने की संभावना है। **FRBM** अधिनियम की आवश्यकतानुरूप मैं वर्ष 2014–15 से 2017–18 की अवधि के लिए प्रदेश सरकार की मध्यावधि वित्तीय योजना अलग से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किए जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है।

160. वर्ष 2014–15 के लिए कुल ₹23,613 करोड़ का बजट व्यय अनुमानित है। वेतन पर अनुमानित व्यय ₹7,647 करोड़, पैंशन पर ₹3,496 करोड़, ब्याज अदायगी पर अनुमानित व्यय ₹2,750 करोड़, ऋणों की अदायगी पर ₹1,511 करोड़ तथा अन्य ऋणों पर ₹367 करोड़ एवं रख–रखाव पर ₹1,840 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

161. वर्ष 2014–15 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति ₹16,522 करोड़ तथा कुल राजस्व व्यय ₹19,784 करोड़ अनुमानित है, जिससे ₹3,262 करोड़ का राजस्व घाटा होगा। सरकार के पूँजी खाते में ₹3,860 करोड़ तथा लोक लेखा में भविष्य निधि इत्यादि की ₹1,125 करोड़ की प्राप्तियां अनुमानित हैं। ऋण की अदायगी सहित कुल पूँजी व्यय ₹3,830 करोड़ रहने का अनुमान है। वर्ष 2014–15 के लिए वित्तीय घाटा ₹5,354 करोड़ रहने का अनुमान है।

162. इस प्रकार बजट अनुमानों के अनुसार, प्रति ₹100 व्यय के मुकाबले, प्रदेश की आय तथा केन्द्र से ऋण को छोड़कर प्राप्त धनराशि सहित कुल

राजस्व आय ₹70.82 होगी। ₹29.18 के इस अन्तर को ऋण तथा अर्थोपाय अग्रिम द्वारा पूरा करना होगा। प्रदेश के राजस्व आय के प्रति ₹100 में से ₹32.31 कर राजस्व, ₹8.41 गैर कर राजस्व, ₹20.36 केन्द्रीय कर में हिस्सेदारी तथा ₹38.92 केन्द्रीय अनुदान द्वारा प्राप्त होंगे। व्यय किए गए प्रति ₹100 में से, वेतन पर ₹32.38, पैंशन पर ₹14.80, ब्याज अदायगी पर ₹11. 64, ऋण अदायगी पर ₹6.40, जबकि शेष ₹34.78 विकास कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाएंगे।

163. अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस बजट के मुख्य अंशों का सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

- वर्ष 2014–15 के लिए ₹4,400 करोड़ का वार्षिक योजना परिव्यय प्रस्तावित।

- ₹1,507 करोड़ की लागत वाला **Forest Eco System Management and Livelihood Project JICA** को वित्तपोषण के लिए भेजा गया।
- प्रदेश के लोगों के लिए जन सेवा डिलिवरी हैल्पलाईन स्थापित होगी।
- सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी देने के लिए टोल फ्री टैलीफोन नम्बर सुविधा प्रदान की जाएगी।
- सभी विभागों में दक्षता बढ़ाने तथा सेवा प्रदान करने के कार्य में तेजी लाने के लिए वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन होगा।

- लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन, परिवहन एवं स्वास्थ्य विभागों में अधिक निवेश के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता प्रकोष्ठ स्थापित होंगे।
- रिजल्ट फ्रेम डाक्युमेंट को जनमुखी बनाने के लिए प्रत्येक विभाग ऐसे 5 से 7 मापयोग्य प्रतिफल तैयार करेगा, जो प्रत्यक्ष रूप से आम लोगों को लाभान्वित करते हों।
- हिमाचल भवन नई दिल्ली तथा चण्डीगढ़ में हिमाचल वासियों की सुविधा के लिए एक–एक लोकमित्र केन्द्र खोला जाएगा।
- दस कार्यालयों को पेपर रहित करने के उद्देश्य से ई–ऑफिस सॉफ्टवेयर लागू होगा।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य उपदान योजना के तहत ₹220 करोड़ का बजट प्रावधान।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला के ऑटोमेशन और राशन कार्डों के कम्पयूटरीकरण के लिए ₹14.23 करोड़ की परियोजना कार्यान्वित होगी।
- अगले चार वर्षों में 30 हजार मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भण्डारण क्षमता का सृजन होगा।
- बेमौसमी सब्जियों के अधीन 4 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाने के लिए ₹55 करोड़ का आवंटन।

- ₹100 करोड़ के परिव्यय के साथ डा. वाई.एस. परमार किसान स्वरोज़गार योजना आरम्भ होगी तथा पौलीहाउस बनाने के लिए 85 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।
- कांगड़ा, मण्डी, ऊना और बिलासपुर ज़िलों में कॉफी उत्पादन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।
- मुख्यमन्त्री आदर्श कृषि गांव योजना जारी रहेगी और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की एक–एक अतिरिक्त पंचायत को ₹10 लाख प्रदान किए जाएंगे।
- बागवानों को गुणवत्ता युक्त एंटी हेल नेट प्रदान कर 15 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र सुरक्षा के दायरे में लाया जायेगा।
- एप्पल रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 1500 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा।
- सेब तथा आम के लिए चलाई जा रही मौसम आधारित फसल बीमा योजना का अतिरिक्त खण्डों में विस्तार। चिहिन्त खण्डों में आड़ू, पलम और किन्नू जैसे फल भी इस योजना में शामिल।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कन्ट्रोल्ड एटमोसफीयर स्टोर में निवेश करने वाले सभी निजी निवेशकों को ₹1 की टोकन लीज मनी पर सरकारी भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।
- शिमला ज़िले में एच.पी.एम.सी. द्वारा ₹15 करोड़ की लागत से एप्पल जूस कन्संट्रेट इकाई स्थापित की जाएगी।

- घुमारवीं तथा नादौन में ₹8 करोड़ के निवेश से दो सब्जी पैक हाऊस स्थापित होंगे।
- पालमपुर में ₹4 करोड़ की लागत से एक नया तरल नाईट्रोजन गैस संयंत्र स्थापित होगा।
- पशु पालकों के लिए हस्त–चालित व ऊर्जा–चालित चारा मशीनें उपलब्ध करवाने हेतु ₹10 करोड़ का प्रावधान।
- विभिन्न श्रेणी की ऊन के प्रापण मूल्यों में 7.5 प्रतिशत से लेकर 32.5 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी।
- सैक्सड सीमन तकनीक के प्रयोग से आवारा पशुओं की समस्या से राहत पाने की सम्भावनाएं तलाशी जाएंगी।
- गोविन्द सागर तथा पौंग जलाशयों में केज फिश कल्चर के लिए डिमोन्सट्रेश्न प्रोजेक्ट आरम्भ किया जाएगा।
- मत्स्य विपणन के लिए मोबाईल फिश मार्किट स्कीम आरम्भ की जाएगी।
- प्रदेश के सभी मछली उत्पादकों के लिए प्रीमियममुक्त समूह दुर्घटना मछुआरा बीमा योजना लागू।
- 10 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र से लैंटाना घास हटाई जाएगी।
- वास–स्थान पर जंगली फलदार पौधे लगाकर, नसबंदी तथा अन्य उपायों से बंदरों की समस्या से राहत पाने के प्रयास किए जाएंगे।

- जंगली जानवरों द्वारा मनुष्य को मारे जाने पर मुआवज़े की राशि ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1 लाख 50 हजार तथा गम्भीर चोट की स्थिति में ₹33 हजार से बढ़ाकर ₹75 हजार करना।
- टी.डी. नियम उदार बनाये गये हैं। अब हकदारों को मकान के निर्माण तथा मुरम्मत के लिये पूर्व के क्रमशः 30 व 15 वर्षों के स्थान पर 15 व 5 वर्षों के बाद ही टी.डी. प्राप्त होगी।
- ₹85 करोड़ के परिव्यय से जिला कांगड़ा, शिमला तथा कुल्लू में 3 नए आई.सी.डी.पी. प्रोजेक्ट आरम्भ होंगे।
- विकेन्द्रीकरण योजना की 20 प्रतिशत निधि का मनरेगा के साथ अभिसरण **(Convergence)** किया जाएगा।
- निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत ₹90 करोड़ व्यय होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तथा तरल कचरा प्रबन्धन पर बल दिया जाएगा।
- 10 अतिरिक्त खण्डों को एन.आर.एल.एम. के अन्तर्गत सघन मोड में लाया जाएगा।
- ₹100 करोड़ के ऋण जुटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3500 महिला आधारित स्वयं सहायता समूहों को सहायता दी जायेगी।
- विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत ₹75,000 प्रति आवास के अनुदान से 10,700 नये आवासों का निर्माण।
- सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. परिवारों को गृह मुरम्मत के लिए राजीव आवास योजना के अन्तर्गत प्रावधान किया जाएगा।

- एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ₹190 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य सरकार 2012–17 तक चौथे राज्य वित्तायोग द्वारा संस्तुतित ₹476 करोड़ की राशि पंचायती राज संस्थाओं तथा ₹382 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों को अन्तरण करेगी।
- समयबद्ध तरीके से सरकारी सेवाएं सुनिश्चित करने को पंचायत सहायकों के 245 रिक्त पद भरे जाएंगे।
- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अन्तर्गत ₹55 करोड़ की लागत से 200 ग्राम पंचायत कार्यालय स्तरोन्नत किए जाएंगे तथा 1425 लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे।
- पंचायत चौकीदार के अनुदान को ₹1,650 से बढ़ाकर ₹1,850 प्रतिमाह किया जाएगा।
- पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में प्रथम अप्रैल, 2014 से वृद्धि।
- राजस्व अदालतों में लम्बित मामलों में 20 प्रतिशत तक की कमी लाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
- महत्त्वपूर्ण स्थलों पर वाटर एटीएम स्थापित होंगे।
- सस्ती दरों पर पेयजल तथा सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने हेतु सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को ₹240 करोड़ उपलब्ध करवाये जायेंगे।

- ₹922 करोड़ की लागत से दौलतपुर पुल से गगरेट पुल तक स्वां तथा ₹180 करोड़ की लागत से छौंछ खड्ड के तटीयकरण के कार्य आरम्भ करना।
- जन स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग के लिए ₹1,500 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित।
- वर्ष 2014–15 में 2 हजार मैगावाट अतिरिक्त जल विद्युत क्षमता के दोहन का लक्ष्य।
- लघु जल–विद्युत परियोजनाओं की परियोजना सम्बन्धित अनुमतियां प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया।
- 2 मैगावाट तक की भावी परियोजनाओं से मिलने वाली निःशुल्क ऊर्जा को 7 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किया गया।
- 5 मैगावाट तक की परियोजनाओं के आबंटन में हिमाचल वासियों को प्राथमिकता।
- जल विद्युत परियोजना के संयंत्र तथा मशीनरी पर वैट देने पर प्रवेश कर में 5 प्रतिशत की पूर्ण छूट।
- जल विद्युत निष्पादन में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी प्रकार के संयंत्र तथा मशीनरी पर वैट को घटाकर मात्र 2 प्रतिशत किया जाएगा।
- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के ₹564 करोड़ के बकाया ऋण की देनदारी प्रदेश सरकार उठाएगी।
- सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड से 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के रूप में राज्य को प्राप्त होने वाली सस्ती बिजली हिमाचल प्रदेश राज्य

विद्युत बोर्ड लिमिटेड को आजीवन प्रदान की जाएगी ताकि उपभोक्तओं को सस्ती दरों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

- घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को ₹330 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।
- काज़ा में 2 मैगावाट का सोलर फोटो–वोल्टाईक ऊर्जा संयन्त्र स्थापित होगा।
- बउद्देशीय विद्युत परियोजना तथा ऊर्जा विभाग के लिए ₹985 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित।
- प्रदेश में नए निवेश के लिए हिमाचल प्रदेश निवेश प्रोत्साहन प्रकोष्ठ गठित होगा।
- प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए उद्योग परामर्श परिषद् गठित होगी।
- ऊना ज़िले के पंडोगा और कांगड़ा जिले के कन्दरोड़ी में ₹219 करोड़ के निवेश से नए अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे।
- बद्दी में ₹147 करोड़ की अनुमानित लागत से टूल रूम स्थापित होगा।
- **HP Tenancy & Land Reforms Act** की धारा 118 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों के लिए भूमि क्रय के लिए अनुमोदन का सरलीकरण।

- इ.एच.टी. श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को 15 प्रतिशत की कम दर पर बिजली शुल्क लगेगा।
- वर्तमान मध्यम तथा बड़े उद्योगों को 13 प्रतिशत की कम दर पर विद्युत शुल्क लगेगा। नई इकाई को 5 वर्षों तक केवल 5 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क का भुगतान करना होगा।
- स्थापित लघु उद्योगों को 7 प्रतिशत की कम दर से विद्युत शुल्क का भुगतान तथा नई इकाई को पहले 5 वर्षों तक केवल 2 प्रतिशत की दर से भुगतान करना होगा।
- नया उद्योग, जहां 300 से अधिक हिमाचलियों को रोज़गार उपलब्ध होगा, से 5 वर्षों तक केवल 2 प्रतिशत विद्युत शुल्क वसूला जाएगा।
- प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना पर केवल 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क वसूला जाएगा।
- नए उद्योगों के लिए भूमि प्रयोग हस्तांतरण शुल्क को वर्तमान दर से 50 प्रतिशत घटाया जाएगा।
- हिमाचल परिवहन निगम के लिये 1,300 नई बसों की खरीद होगी।
- ग्रामीण सड़क परियोजना के द्वितीय चरण में ₹516 करोड़ के परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी में सुरंगो का निर्माण।
- परवाणु–शिमला उच्च मार्ग की फोर–लेनिंग का कार्य ₹2,500 करोड़ की लागत से किया जाएगा।

- ₹1,818 करोड़ की लागत का कीरतपुर–नेरचौक मार्ग का फोर–लेनिंग का कार्य सौंपा गया।
- लोक निर्माण विभाग में ₹2,384 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित।
- बद्दी को किसी भी सम्भावित रेल प्वाईंट से जोड़ने हेतु रेल लाईन का विस्तार। राज्य सरकार इस परियोजना के लिए 50 प्रतिशत योगदान देगी।
- 1 जुलाई, 2014 से ई–रिटर्न, ई–कर भुगतान, ई–घोषणा तथा वैधानिक प्रपत्र ऑनलाईन जारी करने की सुविधा प्रदेश के सभी पंजीकृत डीलरों को मिलेगी।
- डीलरों को कर भुगतान सीधे बैंकों को करने की सुविधा मिलेगी।
- 1 मार्च, 2014 से सामान की पूर्ण ई–घोषणा करने वाले ट्रकों को प्रदेश से बाहर जाते समय अनिवार्य रूप से नाकों पर नहीं रूकना होगा।
- टोल नाकों को आधुनिक अधोसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए नाकों की नीलामी 3 साल के लिए होगी।
- किन्नौर तथा लाहौल–स्पिति के लिए सतत् पर्यटन कार्य योजना बनाई जाएगी।
- कण्डाघाट के समीप नए हवाई अड्डे के निर्माण की सम्भावना तलाशी जाएगी तथा मण्डी ज़िले में हवाई अड्डे के निर्माण हेतु सर्वेक्षण करवाया जाएगा।
- सरकार राज्य में बड़ी संख्या में रज्जू मार्ग विकसित करने की पहल करेगी।

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने वाले नए होटलों को 10 वर्ष तक विलास कर में छूट।
- आई.सी.टी. इन स्कूल (फेज–II) के अन्तर्गत 618 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, 848 उच्च विद्यालय तथा 5 स्मार्ट स्कूल लाए जाएंगे।
- वर्ष 2014–15 में 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं के 7,500 मेधावी छात्रों को नेटबुक (लैपटॉप) प्रदान किए जाएंगे।
- 100 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार होगा। वर्ष 2014–15 में इन विद्यालयों में 200 व्यवसायिक शिक्षा अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ₹956 करोड़ की प्रस्तावना भारत सरकार को प्रस्तुत।
- शिक्षा क्षेत्र के लिए ₹4282 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नगरोटा बगवां में एक राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय खुलेगा।
- कौशल विकास भत्ता योजना में अधिकतम युवाओं को लाने हेतु उदार बनाया गया। इसके लिए ₹100 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित।
- मंदिरों के रख–रखाव तथा पूजा अर्चना के लिये ₹5 करोड़ की आवर्ती निधि का प्रावधान।
- शिमला शहर में एक सिटी संग्राहलय और मनोरंजन पार्क की स्थापना होगी।

- राज्य पुरस्कार से सम्मानित हिमाचली लेखकों की पुस्तकों को थोक खरीद के लिए वित्तीय सहायता ₹10,000 से बढ़ाकर ₹25,000 तथा अन्य लेखकों के लिये ₹6,000 से बढ़ाकर ₹15,000 की गई।
- युवा क्लबों को खेल उपकरण तथा सांस्कृतिक उपकरणों के प्रापण के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान को ₹10 हजार से बढ़ाकर ₹18 हजार किया गया।
- खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 50 पद कोच तथा 13 पद ग्राऊड मैन के सृजित होंगे।
- हिमाचल प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त संवाद्दाताओं को प्रदेश में प्रवेश के समय टोलकर भुगतान में छूट।
- प्रैस क्लबों के निर्माण के लिए ₹1 करोड़ चिन्हित।
- प्रदेश के लोगों को सस्ती तथा गुणवत्तायुक्त जैनरिक दवाईयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य में दवाईयों के गोदाम स्थापित होंगे।
- दूर–दराज के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए सचल चिकित्सा इकाईयों की स्थापना होगी।
- नूरपुर, रामपुर तथा कुल्लू में ट्रॉमा केन्द्र स्थापित होंगे।
- कमला नेहरू अस्पताल, शिमला को पूर्ण मातृ–शिशु अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा।
- मण्डी में मातृ–शिशु अस्पताल स्थापित होगा।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत सफाई कर्मचारी, कूड़ा बीनने वाले तथा ऑटो रिक्शा चालक इत्यादि को लाया जाएगा।
- स्वास्थ्य व चिकित्सा क्षेत्र में ₹1050 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित।
- सुजानपुर, रामपुर, नगरोटा, कांगड़ा, मण्ड़ी, कुल्लू तथा मनाली की पेयजल योजनाओं के सम्बर्द्धन के लिए ₹183 करोड़ का परिव्यय।
- ₹15 करोड़ प्रत्येक की लागत से 4 आधुनिक वधशालाएं स्थापित होंगी।
- बद्दी तथा नालागढ़ शहरों के लिए ₹90 करोड़ की अनुमानित लागत से मल निकासी योजनाएं निर्मित होंगी।
- शिमला में सिटी लाईवली हुड केन्द्र स्थापित होगा।
- नगर निगम शिमला, नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ौतरी।
- ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्रक्रिया का सरलीकरण होगा। ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम की परिधि में लाये जाने वाले क्षेत्रों का युक्तिकरण।
- एकल कन्या को तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी संस्थानों में दो सीटों का आरक्षण उपलब्ध होगा।
- वर्ष 2014–15 में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के लिए ₹130 करोड़ प्रस्तावित।

- वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए ₹1108 करोड़ का आबंटन प्रस्तावित। यह 2013–14 की योजना के 24.72 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2014–15 की योजना का 25.19 प्रतिशत होगा।
- सामाजिक सुरक्षा पैंशन ₹500 से बढ़ाकर ₹550 की गई।
- 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में, कोई भी अन्य पैंशन प्राप्त करने वालों को छोड़कर, शेष सभी के लिए आय सीमा के बगैर ₹1000 की दर पर सामाजिक सुरक्षा पैंशन का विस्तार।
- 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगों को ₹750 की बढ़ी दर से पैंशन। उनके लिए विवाह अनुदान बढ़ाकर ₹40,000 किया जाना प्रस्तावित।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की मुरम्मत के लिए आवासीय उपदान ₹15 हजार से बढ़ाकर ₹25 हजार किया गया।
- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्ति की पात्रता हेतु ₹35,000 की एक समान आय सीमा लागू।
- वर्ष 2014–15 में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए ₹924 करोड़ के आबंटन का प्रस्ताव।
- द्वितीय विश्व युद्ध के योद्धाओं की वित्तीय सहायता को ₹750 से बढ़ाकर ₹2,000 किया गया।

- वीरता पुरस्कार विजेताओं की वार्षिकी 3 हजार से बढ़ाकर 5 हजार की गई।
- धर्मशाला में युद्ध संग्राहलय स्थापित करने के लिए ₹2 करोड़ प्रदान किये जायेंगे।
- स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियों और पुत्रियों की सम्मान राशि ₹3,500 से बढ़ाकर ₹5,000 की गई।
- स्वतंत्रता सेनानियों की पुत्रियों के विवाह अनुदान को बढ़ाकर ₹51 हजार और पौत्रियों के विवाह अनुदान को बढ़ाकर ₹21 हजार किया गया।
- शिमला तथा धर्मशाला में 2 महिला पुलिस थाने स्थापित होंगे।
- आरक्षी, मुख्य आरक्षी, सहायक उप–निरीक्षक, उप–निरीक्षक, तथा निरीक्षकों के राशन भत्ते को ₹150 से बढ़ाकर ₹180 प्रतिमाह किया गया।
- गृह रक्षकों का मानदेय ₹225 से बढ़ाकर ₹260 प्रतिदिन किया गया। रैंक भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ौतरी।
- विभिन्न विभागों में 5 हजार क्रियाशील पद भरे जाएंगे।
- दिहाड़ी ₹150 से बढ़ाकर ₹170 की गई।
- 31 मार्च, 2014 को 7 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले सभी दिहाड़ीदार नियमित होंगे।

- 31 मार्च, 2014 को 6 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले सभी अनुबन्ध कर्मी नियमित होंगे। उनको मिलने वाले अवकाश में बढ़ौतरी तथा उन्हें आर.एस.बी.वाई. के अन्तर्गत लाया जाएगा।
- अंशकालिक जलवाहकों का मासिक मानदेय ₹1,300 से बढ़ाकर ₹1,500 किया गया।
- 31 मार्च, 2014 को 8 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले अशंकालीन कर्मियों को दिहाड़ीदार बनाया जाएगा।
- सिलाई अध्यापिकाओं के मासिक मानदेय को ₹1,600 से बढ़ाकर ₹2,000 किया गया।
- आगंनवाडी कर्मियों के अतिरिक्त मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि।
- 1 अप्रैल, 2014 से 65 से 70, 70 से 75 तथा 75 से 80 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पैंशनरों को क्रमशः 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत पैंशन भत्ता प्रदान किया जाएगा। सैन्य पारिवारिक पैंशनरों को वर्ष 2014–15 से दोहरी पारिवारिक पैंशन का लाभ प्राप्त होगा।
- प्रथम जुलाई, 2013 से प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों और पैंशनरों को 10 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जाएगा।

164. अध्यक्ष महोदय, मैंने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक प्रगति को आगे ले जाने के लिए हमारी विकास प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है। प्रथम वर्ष में हमारी सरकार द्वारा अर्जित की गई उपलब्धियां समाज के सभी वर्गों के सामने हैं। वर्ष 2014–15 का बजट प्रदेश में की गई प्रगति को और सुदृढ़ करने की दिशा में हमारा प्रयास है।

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय कठिनाईयों के बावजूद हम प्रदेश के विकास पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। हमने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए समुचित बजट प्रावधान किए हैं। बजट बनाते समय हमने समाज के सभी वर्गों से अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को ध्यान में रखा है। आम आदमी हमारी सभी नीतियों एवं कार्यक्रमों का केन्द्रबिन्दु है। हालांकि एक वर्ष की अल्प अवधि में हमने विकास के अनेक मील पत्थर स्थापित किए हैं किन्तु आत्मसन्तुष्टि के लिए कोई स्थान नहीं है। हमें प्रदेश के लोगों की आशाओं पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है।

स्वामी विवेकानन्द के शब्द 'उठो, जागो और तब तक मत रूको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए' हमारा आदर्श वाक्य रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्न शब्दों के साथ, इस बजट को इस मान्य सदन को संस्तुत करता हूँ:–

'साथियो दूर है अभी मन्ज़िल,
और कुछ वेग से बढ़ाएं क़दम,
लाख तूफ़ान रास्ता रोकें,
जा के मन्ज़िल पे ही रूकें हम।'

जय हिन्द।

जय हिमाचल।